अंक : 4, दिसम्बर 2010

LEISA INDIA

लीज़ा इण्डिया

विशेष हिन्दी संस्करण

लीज़ा इण्डिया

विशेष हिन्दी संस्करण
दिसम्बर 2010, अंक 4

यह अंक लीज़ा इण्डिया टीम के साथ मिलकर जी०ई०ए०जी० के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें लीज़ा इण्डिया में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के कुछ मूल लेखों का हिन्दी में अनुवाद एवं संकलन है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
224, पुर्दिलपुर, एम०जी० कालेज रोड,
पोस्ट बाक्स 60, गोरखपुर- 273001
फोन : +91-551-2230004, फैक्स : +91-551-2230005
ईमेल : geag_india@yahoo.com
वेबसाइट : www.geagindia.org

ए.एम.ई. फाउण्डेशन
नं० 204, 100 फीट रिंग रोड, 3rd फेज़, 2nd ब्लाक, 3rd स्टेज,
बनशंकरी, बैंग्लोर- 560085, भारत
फोन : +91-080-26699512, +91-080-26699522
फैक्स :+91-080-26699410,
ईमेल : amebang@giasbg01.vsnl.net.in

लीज़ा इण्डिया
लीज़ा इण्डिया अंग्रेजी में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है जो इलिया की सहभागिता से ए.एम.ई. फाउण्डेशन बैंग्लोर द्वारा प्रकाशित होती है।

मुख्य सम्पादक : के.वी.एस. प्रसाद, ए.एम.ई. फाउण्डेशन
प्रबन्ध सम्पादक : टी.एम.राधा., ए.एम.ई. फाउण्डेशन

अनुवाद
अर्चना श्रीवास्तव

अनुवाद समन्वय
डा० अनीता सिंह, जी.ई.ए.जी.
पूर्णिमा कंदी, ए.एम.ई. फाउण्डेशन

प्रबन्धन
एम० शोभा मइया, ए.एम.ई. फाउण्डेशन

लेआउट एवं टाईपसेटिंग
राजकान्ती गुप्ता, जी.ई.ए.जी.

छपाई
कस्तूरी ऑफसेट, गोरखपुर

आवरण फोटो
राजेश गुप्ता, जी.ई.ए.जी.

लीज़ा पत्रिका के अन्य सम्पादन
लैटिन, अमेरिकन, इण्डोनेशियन, पश्चिमी अफ्रीकन, ब्राज़ीलियन एवं चाइनीज़ संस्करण

लीज़ा इण्डिया पत्रिका के अन्य क्षेत्रीय सम्पादन
तमिल, कन्नड़, उड़िया एवं तेलगू

सम्पादक की ओर से लेखों में प्रकाशित जानकारी के प्रति पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी दी गई जानकारी से सम्बन्धित किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी उस लेख के लेखक की होगी।

प्रिय पाठक

आपके समक्ष हिन्दी अनुवाद का चौथा अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके उत्साहवर्धक सहयोग के लिए धन्यवाद।

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हिन्दी अंक को अधिक प्रसंशा मिल रही है। स्थानीय भाषा में होने के कारण बहुत से पाठक इसे अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। लीज़ा इण्डिया जमीनी स्तर पर बहुत अधिक विस्तारित की जा सकती है। हमें वास्तविक लेखों के लिए भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हमें विश्वास है कि आने वाले अंकों में और अधिक लेखों को समाहित किया जा सकेगा। आन लाइन अंक भी हमारे वेबसाइट www.leisaindia.org पर उपलब्ध है।

इस अंक में हमने विभिन्न विषयों जैसे खाद्य सुरक्षा, कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और पारिस्थितिक कीट प्रबन्ध की आवश्यकता, स्थाई खेती में पशुधन की भूमिका एवं खेती पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आदि को शामिल किया है। हमें आशा है कि इसे पढ़कर आपको प्रसन्नता मिलेगी। पत्रिका पर आपके सुझावों का स्वागत है।

लीज़ा इण्डिया टीम
दिसम्बर, 2010

लीज़ा

कम बाहरी लागत एवं स्थायी कृषि पर आधारित लीज़ा उन सभी किसानों के लिए एक तकनीक और सामाजिक विकल्प है, जो पर्यावरण सम्मत विधि से अपना उत्पादन और आय बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि लीज़ा के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय संसाधनों और प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाता है और आवश्यकतानुसार ही वाह्य संसाधनों का सुरक्षित उपयोग किया जाता है।

लीज़ा पारम्परिक और वैज्ञानिक ज्ञान का संयोग है जो विकास के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करता है। यह भी मुख्य है कि इसके द्वारा किसानों की क्षमता को विभिन्न तकनीकों से मजबूत किया जाता है और खेती को बदलती जरूरतों और स्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। साथ ही उन महिला एवं पुरुष किसानों व समुदायों का सशक्तिकरण होता है, जो अपने ज्ञान, तरीकों, मूल्यों, संस्कृति और संस्थानों के आधार पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

विविधता की ओर उन्मुख छोटे किसान
एन. ललिता, जे. दिरावियम व अरुण बालामती **5**

खेत पर विभिन्न अवयवों के सम्मिश्रण और उनके एकीकरण ने तमिलनाडु में छोटे किसानों को समृद्ध फसल प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई है। विज्ञान और तकनीक विभाग द्वारा कृषि–पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धान्त पर आधारित सघन जैव खेत मॉडलों को प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक स्थाई खेती उत्पादन एवं आजीविका मिली।

ए.एम.ई. फाउण्डेशन, डक्कन के अर्द्धशुष्क क्षेत्र के लघु सीमान्त किसानों के बीच विकास एजेन्सियों के जुड़ाव, अनुभव के प्रसार, ज्ञानवर्द्धन एवं विभिन्न कृषि विकल्पों की उत्पत्ति द्वारा पर्यावरणीय कृषि को प्रोत्साहित करता है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रहा है। संस्था लघु एवं सीमान्त किसानों, आजीविका से जुड़े सवालों, पर्यावरणीय संतुलन, लैंगिक समानता तथा सहभागी प्रयास के सिद्धान्तों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था ने अपने 30 साल के लम्बे सफर के दौरान अनेक मूल्यांकनों, अध्ययनों तथा महत्वपूर्ण शोधों को संचालित किया है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं, महिला किसानों तथा सरकारी विभागों का आजीविका और स्थाई विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमतावर्धन भी किया है। आज जी0ई0ए0जी0 ने स्थाई कृषि, सहभागी प्रयास तथा जेण्डर जैसे विषयों पर पूरे उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

इलिया, कम बाहरी लागत स्थाई कृषि हेतु जानकारी का केन्द्र है। इलिया पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों द्वारा कम लागत स्थाई कृषि के अनुकूलन को प्रोत्साहित करती है। साथ ही विशेष जानकारी का एक खाका भी तैयार करती है। इलिया से सम्बन्धित सभी जानकारियां वेबसाइट www.leisa.info पर भी मिलती हैं। यह भी उल्लिखित है कि इस वेबसाइट पर स्थाई कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध रहती हैं।

स्व–पुष्टता का निर्माण : एक छोटे किसान की सफल कहानी 7

वन्या ओर, अरुण कुमार, गीता क्रेनेक, सिवा कुमार व मोहन कुमार

नीलगिरी में एक स्वैच्छिक संगठन 'अर्थ ट्रस्ट' ने बड़ी संख्या में छोटी जोत वाले किसानों को जैविक खेती और सामूहिक विपणन की क्षमता को महसूस करने में मदद की है। यह कहानी एक ऐसी महिला किसान की है, जो फसल गुणवत्ता, विविधतापूर्ण एवं अच्छी आमदनी से लाभान्वित हुई।

स्थानीय आजीविका से मूल्य संवर्धन 8

खेयुवन्ह पोम्मथट और स्टुअर्ट लिंग

लोस में, किसान जब सामूहिक रूप से खेती करते हैं और स्वयं के कृषि उद्योग में पूंजी लगाते हैं, तो वे अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य और मूल्य श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। वर्ष 2007 से अभी तक 18 कृषि–उद्यम स्थापित हो चुके हैं।

आदिवासी महिलाएं बनी बिहन्ना माँ (बीज माँ) 12

विश्वमोहन मोहन्ती

उड़ीसा की '' बीज माँ'' ने मोटे अनाजों पर आधारित खेती व्यवस्था को पुन–र्जीवित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। 'स्थानीय बीजों और जैव विविधता पर जानकारियों का घर' के नाम से अस्तित्व में आयी बीज माँ ने स्थानीय और परम्परागत बीज प्रजातियों को पहचाना, संरक्षण किया और प्रसार कर रही हैं।

विकसित गतिविधियों में परम्परागत सम्मिश्रण के साथ परिवर्तन 15

रौनक शाह व निरंजन अमेटा

ढाला में, किसानों ने बदलती जलवायु में अनुकूलन के लिए परम्परागत व विकसित खेती पद्धति में परम्परा का समावेश किया है और वे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न अभ्यासों जैसे मल्चिंग, नये बीज या अपने कृषि तंत्र में वर्मी खाद के प्रयोग से उपज बेहतर हुई है। उपरोक्त तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि कैसे स्वैच्छिक संगठन सूखा क्षेत्र के किसानों को बदलती जलवायुविक परिस्थितियों में उनकी नाजुकता कम करने हेतु सहयोग कर सकते हैं।

अनुक्रमणिका

विशेष हिन्दी संस्करण, दिसम्बर 2010

5 **विविधता की ओर उन्मुख छोटे किसान**
एन. ललिता, जे दिरावियम व अरूण बालामती

7 **स्वपुष्टता का निर्माण : एक छोटे किसान की सफल कहानी**
वन्या ओर, अरूण कुमार, गीता क्रेनेक, सिवा कुमार व मोहन कुमार

8 **स्थानीय आजीविका से मूल्य संर्वधन**
खेयुवन्ह पोम्मथट और स्टुअर्ट लिंग

11 **विविधतापूर्ण खेती तंत्र**
एल. नारायण रेड्डी

12 **आदिवासी महिलाएं बनी बिहन्ना माँ (बीज माँ)**
विश्वमोहन मोहन्ती

15 **विकसित गतिविधियों में परम्परागत सम्मिश्रण के साथ परिवर्तन**
रौनक शाह व निरंजन अमेटा

18 **बहिष्करण से सशक्तता की ओर : सिद्दी समुदाय की महिलाएं**
आगा खाँ फाउण्डेशन

बहिष्करण से सशक्तता की ओर : सिद्दी समुदाय की महिलाएं 18

आगा खाँ फाउण्डेशन

अल्पसंख्यक समुदायों जैसे गुजरात के सिद्दी, ने गरीबी, अपमान और बहिष्करण को अपनी नियति मान लिया है। पारिस्थितिवश होने वाला विकास सही नहीं होता क्योंकि यह उनकी पहुँच को नहीं बढ़ा सकता। यह संघर्ष है न्यून सुविधा, आत्मविश्वास का अभाव, आजीविका के सीमित विकल्पों, शिक्षा का न्यून स्तर और उन सभी के लिए, जो उन्हें उनकी जातीय और सांस्कृतिक पहचान से दूर कर रहा है।

यह अंक...

लीज़ा इण्डिया का प्रस्तुत अंक बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में कृषि पारिस्थितिकी, खेती में विविधता, आजीविका के विकल्पों आदि विभिन्न विषयों पर आधारित है। वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है और सभी देश इसके दुष्प्रभावों से निपटने हेतु चिन्तनशील व तत्पर हैं, ऐसे में किसानों द्वारा किये जा रहे छोटे–छोटे प्रयास, समस्या की गम्भीरता के प्रति उनकी सजगता को सामने ला रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम बदलाव का सर्वाधिक प्रभाव खेती पर ही पड़ रहा है और इसकी सर्वाधिक मार छोटे किसानों को ही झेलनी पड़ रही है। अतः उनके द्वारा किये जा रहे प्रयास अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

इस अंक में जहां एक ओर ''विविधता की ओर उन्मुख छोटे किसान'' नामक लेख यह दर्शाता है कि किस प्रकार किसान अपने सीमित संसाधनों में ही जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उन्मुख हैं, वहीं दूसरी ओर एकल पद्धति व रसायनिक विधि से की जाने वाली खेती को छोड़कर जैविक विधि से मिश्रित पद्धति खेती व विपणन की अभिनव रणनीति को अपनाते हुए लेख ''स्व–पुष्टता का निर्माण : एक छोटे किसान की सफल कहानी'' अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्थानीय उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण व लाभप्रद कैसे बनाया जाये, इस पर आधारित खेयुवन्ह पोम्मथट और स्टुअर्ट लिंग लिखित ''स्थानीय आजीविका से मूल्य संवर्धन'' लेख अन्य किसानों को इस बात की प्रेरणा और जानकारी देता है कि कैसे बाजार से उनका सीधे जुड़ाव हो और वे बिचौलियों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बच सकें। ''विविधतापूर्ण खेती तंत्र'' में नारायण रेड्डी के खुद के सफल अनुभव हैं, तो विश्वमोहन मोहन्ती लिखित ''आदिवासी महिलाएं बनीं बिहन्ना माँ'' नामक लेख यह दर्शाता है कि किस प्रकार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीजों के एकत्रीकरण, संरक्षण और प्रसारण में महिलाएं अपनी भूमिका निभा सकती हैं। यह लेख यह भी दर्शाता है कि कैसे महिलाएं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में परम्परागत जानकारियों में विकसित तकनीकों का सम्मिश्रण एक प्रभावी उपाय हो सकता है, जिसके माध्यम से हम खेती में होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। इस पर ही आधारित रौनक शाह व निरंजन अमेटा का लेख ''विकसित गतिविधियों में परम्परागत सम्मिश्रण के साथ परिवर्तन'' अन्य किसानों व उत्सुक पाठकों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।

पत्रिका का आखिरी अंक ''बहिष्करण से सशक्तता की ओर : सिद्दी समुदाय'' विशेषतः एक आदिवासी समुदाय की महिलाओं की सशक्तता की ओर इंगित करता है। लेख में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार महिलाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से खुद को व अपने समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सक्षम हुई हैं। समूह में संगठित होकर महिलाओं ने जहां कृषि को उन्नत बनाने का काम किया है, वहीं आयजनक गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक स्तर पर भी उन्नत बनाने में सफल हुई हैं। इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिद्दी समुदाय ने खुद को एक नयी पहचान भी दी है।

अन्त में पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा आतुरता से रहेगी, क्योंकि वही इसके लेखों का उचित आकलन कर यह बता सकेगें कि लेख कितने उपयोगी और मूल्य वर्धक बन पड़े हैं।

• सम्पादक मण्डल

विविधता की ओर उन्मुख छोटे किसान

खेत पर विभिन्न अवयवों के सम्मिश्रण और उनके एकीकरण ने तमिलनाडु में छोटे किसानों को समृद्ध फसल प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई है; विज्ञान और तकनीक विभाग द्वारा कृषि–पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धान्त पर आधारित सघन जैव खेत मॉडलों को प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक स्थाई खेती उत्पादन एवं आजीविका मिली।

एन. ललिता*, जे. दिरावियम व अरुण बालामती*****

तमिलनाडु में पेरम्बलूर जिले के छोटे किसानों की आजीविका मुख्यतः कपास और मूंगफली की खेती पर आधारित है। लेकिन, उपज और श्रम दोनों की लागत बढने के साथ ही कीटों की गम्भीर समस्या ने उन्हें इन फसलों के विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर किया। यह वह समय था, जब मक्का को मुख्य तौर पर मुर्गियों के खाने में उपयोगी होने के कारण उच्च मूल्य वाले फसल के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। अभी भी, इसमें कपास के फसल की अपेक्षा कम श्रम की आवश्यकता होती है। अतः स्वाभाविक रूप से, इस क्षेत्र में किसानों ने मक्का की खेती में रूचि दिखाई।

प्रारम्भ में, किसान मक्का उगाने से लाभान्वित भी रहे। इसके नगद उपार्जन की प्रकृति के कारण किसानों ने अन्य फसलों की उपेक्षा करके केवल मक्का पर ही स्वयं को केन्द्रित किया। परन्तु एक समय के बाद, किसानों ने महसूस करना प्रारम्भ किया कि लगातार मक्का की खेती करने से समस्याएं भी आ रही हैं, जिनमें से कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से मक्का की खेती से ही सम्बन्धित हैं, जबकि कुछ–कुछ इसका प्रभाव दूसरे पहलुओं पर भी पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर, इसकी उपज कम हुई, जबकि उत्पादन पर अनुमान से अधिक लागत आई। एक समय यह भी आया, जबकि पूरी उत्पादन लागत का 81 प्रतिशत अकेले खाद और श्रम पर लगा। किसानों ने यह महसूस करना प्रारम्भ किया कि मात्र मक्का की खेती से उन्हें चौतरफा दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है। एक तरफ तो पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता घटी और दूसरी तरफ सब्ज़ियों व दालों की अनुपस्थिति ने परिवार के सदस्यों को पोषण पदार्थों से भी वंचित किया।

बदलाव का आरम्भ...

ए.एम.ई.फाउण्डेशन, एक स्वैच्छिक संगठन है, जो वर्ष 2001 से पेरम्बलूर में किसानों के साथ काम कर रही है। वर्ष 2005 के दौरान छोटे किसानों की आजीविका से सम्बन्धित मुद्दे और चुनौतियों को सम्बोधित करते हुए विज्ञान एवं तकनीक विभाग के सहयोग से प्रक्रिया आधारित और निश्चित स्थान के साथ चार चयनित गांवों में, तकनीकी गतिविधियां प्रारम्भ की गयीं। इसका मुख्य उद्देश्य सहभागी शोध के माध्यम से कृषिगत–पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धान्त पर आधारित सघन जैव खेती मॉडल को विकसित करते हुए छोटे किसानों की पोषण एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

परियोजना के सुचारू संचालन हेतु पेरम्बलूर जिले के मझावर्यानाल्लुर, वैद्यनाथनपुरम, मिलगनाथम और पेरूमाथरूकुदिकादू का चयन किया गया। प्रत्येक गांव से पांच किसानों ने इस शोध में सक्रिय भागीदारी निभाई। इन किसानों को, ''प्रयोगधर्मी'' (Experimental) किसान भी कहा गया, जिनका चयन एक सहभागी माध्यम से किया गया। किसानों का एक ऐसा समूह भी बनाया गया, जो अपने खेत पर इस तरह का कोई प्रयोग नहीं कर रहा था लेकिन खेत पर क्या प्रयोग हो रहा है, इसे जरूर गम्भीरता से देख रहा था। ये किसान ''प्रेक्षक किसान'' (Observer farmer) थे। सभी चार गांवों में 52 प्रेक्षक किसान थे। प्रत्येक गांव में प्रयोग करने वाले और प्रेक्षक दोनों किसानों को एक साथ लेकर एक किसान सम्बद्ध समूह भी बनाया गया। किसान समूहों ने खेती के साथ सम्बद्ध एकीकृत गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन पर अपनी क्षमता अभिवृद्धि करने के लिए सहभागी तकनीक

मक्के की फसल में बाड़ के तौर पर सनई

पर्वतीय खेती का एक दृश्य

विकास (पी0टी0डी0) और किसान विद्यालय (एफ0एफ0एस0) की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीख, समझ बढ़ाई। किसानों के साथ परामर्श करके किसान विद्यालय (एफ0एफ0एस0) सत्र के लिए विषय तय किये गये। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान फसल तंत्र के उत्पादन को बेहतर बनाना तथा वर्तमान खेती व्यवस्था में नये एकीकृत अवयवों को शामिल करना भी था। एफ0एफ0एस0 सत्र किसानों को इस बात की सुविधा प्रदान करता था कि वे मृदा व जल संरक्षण, मृदा उर्वरता प्रबन्धन, परिवर्तित फसल अभ्यास और आय उपार्जन गतिविधियों को समाहित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन का बेहतर तरीका सीख सकें। सीखने की इस प्रक्रिया में सहभागिता के अतिरिक्त, चारों समूहों ने मिलकर प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि को लेते हुए एक संघ का भी गठन भी किया। इस संघ का मुख्य उद्देश्य एक–दूसरे से सीखना और संगठित गतिविधियां करना था।

विविधता बढ़ाना

परियोजना के साथ जुड़कर किसानों ने खेती के बहुत से मौलिक घटकों जैसे फसल संवर्धन, पशुधन, गृहवाटिका आदि गतिविधियां शुरू कीं, परन्तु उनमें विविधता का अभाव था। उदाहरण के तौर पर, केवल एक फसल मक्का एवं पशुओं के खाने के लिए केवल बाजरा चारे के रूप में उगाई जाती थी। किसान सामान्यतः अपने पास या तो गाय या बकरी या फिर मुर्गी अर्थात केवल एक प्रकार के जानवर ही रखते थे। घरेलू उपयोग के लिए गृहवाटिका में कद्दू या सेम में से कोई एक ही उगाते थे। खाद बनाने के तरीके में भी अपरिपक्वता थी। उन्हीं पेड़ों की अधिकता थी, जिनके पत्तें अधिक बायोमॉस उपार्जित करते हों। खेत पर केवल नीम और जंगली मोरिंगा की प्रजातियां ही उगाई जाती थीं। प्रत्येक गतिविधि अपनी अलग अहमियत रखती थी। इस प्रकार वर्तमान खेती तंत्र की बाहरी निवेश पर अत्यधिक निर्भरता थी, जो कि उच्च उत्पादन लागत का कारण भी थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से किये गये हस्तक्षेपों के साथ विभिन्न घटकों की विविधता को शामिल करते हुए स्थाईत्व बढ़ाया गया। सबसे पहले, उगाने वाले फसलों की संख्या बढ़ाई गयी। पहले साल में, अन्तः खेती प्रारम्भ की गयी जैसे मक्का की फसल में चना व सन की फसल लगाई गयी। दूसरे वर्ष के दौरान, अरण्डी, मूंग, सिम्फोपोजन और नेपियर घास को शामिल किया गया व तीसरे वर्ष में कुछ किसानों ने अन्तः खेती के तौर पर मेस्टा को लगाया। तीन साल समाप्त होने के बाद, वहां पर फसल चक्र में सात नयी फसलें समाहित की गयीं।

पशुधन में, किसानों ने संयोजन में पशुओं को पालना प्रारम्भ किया। उदाहरण के तौर पर मवेशी और बकरी, बकरी और मुर्गी, मवेशी और मुर्गी। टर्की में धीरे–धीरे इसे प्रोत्साहित भी किया गया है। इन बढ़े हुए जानवरों को यथेष्ट चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा युक्त फसलों को भी बढ़ाया गया। पहले साल के दौरान सन और अजोला को पूरक चारे के तौर पर मिलाया गया। नेपियर घास, कुम्बू नेपियर हाइब्रिड, गरारी बाड़ा, गरारी, बहुकटाई चारा बाजरा, स्टाइलो, कल्पागोनियम आदि कुछ अधिक चारे वाली फसलों को दूसरे वर्ष में उगाया गया। गृहवाटिका में, टमाटर, बैगन, चिचिण्डा, भिण्डी, लौकी, ग्वार फली आदि को समाहित करते हुए सब्ज़ियों की टोकरी को विस्तार दिया गया। पहले दो सालों में खेत पर लगाने वाले पेड़ों में विविध प्रकार के पेड़ों जैसे – ग्लिरीसीडिया, आम, सपोता, आंवला और इमली को लगाया गया और तीसरे वर्ष में बबूल को भी जोड़ा

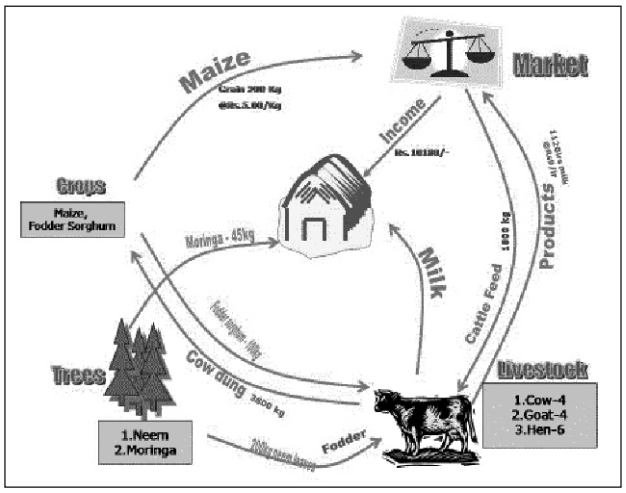

चित्र 1 : प्रारम्भिक वर्ष का चक्रीय प्रवाह

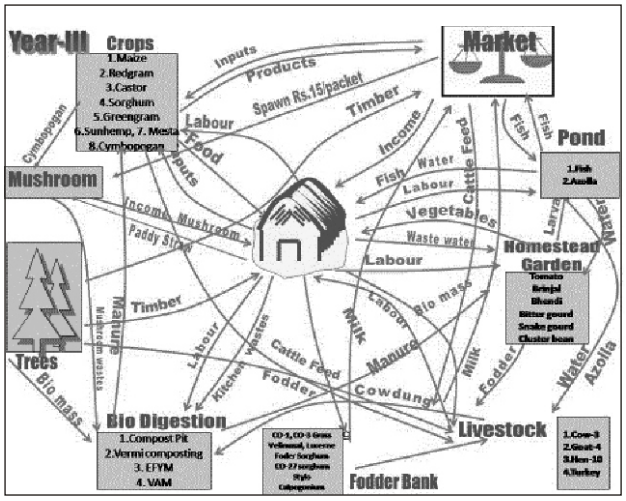

चित्र 2 : तृतीय वर्ष का चक्रीय प्रवाह

गया। इन पेड़ों से पशुओं के लिए चारा, खाद बनाने के लिए बायोमॉस और लकड़ी के तौर पर घर व बाज़ार के लिए ईंधन की उपलब्धता हुई। मछली पालन, मशरूम उत्पादन और खाद बनाने के लिए बायोडाइजेस्टर को भी जोड़ा गया, जो कि संसाधनों के पुनर्चक्रण में सहायक हुई।

विविध लाभ

फसल विविधता बढ़ाने के साथ ही किसानों ने महसूस किया कि पहले साल में मक्का का उत्पादन 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है, जबकि दूसरे वर्ष में यह बढ़त 15–25 प्रतिशत रही। लेकिन, तीसरे वर्ष में, सूखा पड़ने के कारण फसलों के लिए कठिन परिस्थिति पैदा हो गई और मक्का का उत्पादन घट गया। फिर भी, उन्होंने अन्तः फसलों के प्रसार से रू0 2000–4000 प्रति एकड़ की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की। यह भी देखा गया कि अन्य अन्तः फसलों की तुलना में मक्का पर सूखे का अधिक प्रभाव पड़ा, जो उसके घटे हुए उपज से प्रदर्शित हुआ। इसका कारण यह है कि मक्का फूल आने और फल पकने की अवस्था में नमी की कमी नहीं सह सकता। आमदनी के अतिरिक्त, अन्तः फसल के रूप में दलहनी फसले परिवार की पोषण आवश्यकता को भी पूरा करती है। खेती की विविधता अर्थात् जानवरों के लिए खेत से हरा चारा, घरेलू उपयोग के लिए गृहवाटिका से सब्ज़ियां और घर में ईंधन के लिए पेड़ों की टहनियों के उपयोग से संसाधनों का कौशलपूर्ण उपयोग प्रकट

शेष भाग पृष्ठ 10 पर....

स्व-पुष्टता का निर्माण : एक छोटे किसान की सफल कहानी

वन्या ओर*, अरूण कुमार, गीता क्रेनेक***, सिवा कुमार****और मोहन कुमार*****

दक्षिण भारत में नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में एक छोटा से गांव कोलईमलाल ओरन, में शान्ति नाम की एक शर्मीली महिला रहती है। उसके परिवार की आजीविका का स्रोत मात्र 0.2 एकड़ का छोटा सा भू–खण्ड है। इसमें वह अपने पति श्री मोहनसुन्दरम की सहायता से सब्ज़ियां जैसे – चुकन्दर, गाजर, जल्दी उगने वाली चोकी गोभी, पालक, बन्दगोभी और फूलगोभी उगाती हैं। यह सभी उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व ही सन् 2006 के दौरान प्रारम्भ किया है। इससे पहले शान्ति परम्परागत तौर पर रसायनिक खेती करती थी, जिसे वह अपने पिता को पिछले तीन दशकों से करते हुए देखती चली आ रही थी। वास्तव में वह खेती के दूसरे तरीकों के बारे में नहीं जानती थी। गाजर, आलू और बाकला की एकल खेती ही उनके अभ्यास में थी। वे बिचौलियों के स्तर पर अन्धाधुन्ध उतार–चढ़ाव वाले मूल्यों पर अपने उत्पादों को बेचती थीं।

बदलाव बिन्दु (बदलाव के क्षण)

वर्ष 2006 में, नीलगिरी में स्थापित और आस–पास के क्षेत्रों में काम करने वाली एक संस्था ''अर्थ ट्रस्ट'' ने शान्ति के परिवार के साथ जैविक विधि से खेती करने के मुद्दे पर चर्चा की। मोहनसुन्दरम इससे प्रेरित हुए और उन्होंने आजमाने की इच्छा से इस खेती को किया। उन्होंने महसूस किया कि गैर रसायनिक खेती किफायती होने के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी भी है। शान्ति ने पूरे खेत में गाजर की बुवाई की, लेकिन शीघ्र ही आपदा का प्रकोप हो गया। गाजर में फंफूदी रोग लग जाने के कारण फसल बरबाद हो गयी। प्राकृतिक उपचार के तौर पर बायो–डायनमिक प्रीपरेशन 501, इक्वीसेटम चाय, हल्दी चाय का प्रयोग किया गया पर सफलता नहीं मिली। इस नये प्रयोग में हुई विफलता से जैविक खेती से शान्ति का मोह भंग हो गया और उन्होंने पुनः रसायनिक खेती की तरफ लौटने का मन बनाया। किन्तु आश्चर्यजनक रूप से, कुछ दिनों में, गाजर पुनः अंकुरित होने लगी और उसने अच्छी पैदावार दी। उसके बाद से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं हुई अर्थात् साल–दर–साल सफलता का ग्राफ बढ़ता ही गया।

विविधता की प्रधानता

शान्ति और मोहनसुन्दरम द्वारा की जा रही एकल फसल पद्धति में गाजर की खेती अन्तिम एकल फसल थी। इसे उन्होंने मिश्रित फसल के रूप में परिवर्तित किया और एक साथ बहुत सी फसलें उगाईं। उनके खेत में हमेशा कम से कम 6 विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियां रहती हैं और पूरे समय चक्र में 16 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सब्ज़ियों की विविधता और उनकी बुवाई का अलग–अलग समय परिवार को विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियां निरन्तर आपूर्ति करना सुनिश्चित करता है।

विपणन की अभिनव रणनीति

इसी बीच, एक नवीन विपणन व्यवस्था विकसित की गयी, जो किसानों को अच्छा प्रतिफल और उपभोक्ताओं को उनकी सामर्थ्य के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद देना सुनिश्चित करती थी। अर्थ ट्रस्ट ने जैविक किसान संगठन (बायो–डायनेमिक ग्रोवर्स एसोसियेशन इन नीलगिरी BiOGAiN बनाने में मदद किया। इस एसोसियेशन की सदस्यता उन सभी जैविक किसानों के लिए थी, जो इच्छुक हों। एसोसियेशन के किसान मासिक आधार पर बैठकें कर यह तय करते हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक किसान क्या फसल लगायेगा। सदस्य अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अर्धवार्षिक बैठक करते हैं। जिसमें निर्धारित किया गया मूल्य अगले छः माह तक के लिए स्थिर रहता है। इस प्रकार, वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनको क्या मिलेगा और तद्नरूप वे नियोजन कर सकते हैं। किसान अपने फसल उत्पादों को सप्ताह में दो बार ओटी स्थित केन्द्रीय वितरण केन्द्र पर ले जाते हैं। तब अर्थ ट्रस्ट का प्रतिनिधि उत्पादों को स्थानीय और बड़े केन्द्रों में खरीददारों को बेचता है। यदि बाजार मूल्य कम रहता है, तो भी किसान अपने सहमति मूल्य को ही लेते हैं। इसके विपरीत, यदि उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकता है, तो अधिशेष पैसा किसानों को वर्ष के अन्त में बोनस के तौर पर दिया जाता है। इस प्रकार, किसान क्या बो सकते हैं और उसका मूल्य क्या मिल सकता है, दोनों में किसानों के पास अधिक जानकारी है। BiOGAiN छोटे स्तर पर 11 किसानों के साथ इसे संचालित करता है, जिसके तहत् प्रतिमाह 40 स्थानीय खरीददारों को 3–4 टन जैविक उत्पाद आपूर्ति की जाती है साथ ही 20 घरों में बाक्स योजना के अन्तर्गत और आस–पास के क्षेत्रों के 8–10 बड़े खरीददारों में भी वितरण किया जाता है। तथापि, यदि अधिक किसान इस योजना में शामिल होते हैं, तो 20 स्थानों में माहवार 30–40 टन उत्पाद को बाजार में लाना संभव होगा।

लाभ में भागीदारी

जैव खेती पद्धति में हो रहे असीम लाभ को देखते हुए शान्ति पूरे गांव को जैविक खेती करते हुए देखना चाहती हैं। वह लोगों को जैविक की तरफ उन्मुख होने के लिए अभिप्रेरित भी करती हैं। अब वहां पर परिवर्तन के लक्षण के तौर पर लोग शान्ति के अनुभवों से सीखने लगे हैं। बहुत से पड़ोसियों ने कुछ अभ्यासों को अपनाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर, किसानों ने अब अपने खर–पतवारों को ढेर के रूप में इकट्ठा कर उनसे खाद बनाना शुरू कर दिया है, जबकि पहले उसे जला देते थे और गाय के मल–मूत्र से बने तरल खाद ''पंचगव्य'' का तोहफा सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। शान्ति आशान्वित है कि उसका सपना शीघ्र ही पूर्ण होगा।

आभार,

इस परियोजना को अनुदान देने के लिए Friends of Hope, UK के श्री डेविड पोपले को लेखकों की तरफ से धन्यवाद। इसके साथ ही उन किसानों को भी धन्यवाद, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

■

द अर्थ ट्रस्ट नीलगिरिस, हेमा कॉटेज, भारती नगर, कट्टी पोस्ट नीलगिरिस- 643 215
ईमेल : orrvanya@gmail.com, earthtrust@gmail.com

Women and Food Sovereignty
LEISA INDIA, Vol. 11, No.3, Pg. # 24, September 2009

स्थानीय आजीविका से मूल्य संवर्धन

लोस में, किसान जब सामूहिक रूप से खेती करते हैं और स्वयं के कृषि उद्योग में पूंजी लगाते हैं, तो वे अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य और मूल्य श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। वर्ष 2007 से अभी तक 18 कृषि–उद्यम स्थापित हो चुके हैं।

खेयुवन्ह पोम्मथट* और स्टुअर्ट लिंग**

पैकन्गावों किसान उद्यम् ने किसानों व लोगों को ट्रैक्टर व मक्का शलर खरीदने हेतु निवेश के लिए आकर्षित किया।

उत्तरी लोस में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। उबड़–खाबड़ पहाड़, जहां कभी समाज से पृथक जनजातियां अपने वास्तविक जीवन शैली में सुरक्षित निवास करती थीं, उन पहाड़ों को काटकर सड़कें बनायी जा रही हैं, जलीय विकास किया जा रहा है और रबर के पौधे लगाये जा रहे हैं। चीन, वियतनाम और थाइलैण्ड की विदेशी कम्पनियां बड़े कृषि उद्योगों में पूंजी लगाने, रबर, कसावा व मक्का उत्पादित करने हेतु जमीन के लिए आपस में छीना–झपटी कर रही हैं और इस बात के लिए उन्हें सरकारी प्राधिकरणों से समर्थन भी प्राप्त है, जो उनको जमीन और करों में रियायत दे कर उन्हें विदेशी पूंजी निवेश हेतु प्रेरित कर रही हैं।

अशिक्षित और आर्थिक रूप से विपन्न छोटे किसानों के लिए, बाजारों पर पहुंच के विकल्प न्यून हैं। वे एक समझौता संविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करके कम्पनियों को अपने ताजा, अप्रसंस्कृत उत्पादों को अति न्यून मूल्य पर खरीदने का अधिकार दे सकते हैं, या वे सभी अपने खेतों को सामूहिक खेती हेतु देकर स्वयं कम्पनी के मजूदर की हैसियत से उस भूमि पर काम कर सकते हैं। तथापि, बोकियो प्रान्त में छोटे किसानों के साथ एक स्वैच्छिक संगठन वी.ई.सी.ओ ने एक पायलट प्रस्ताव के तौर पर नये कृषि–उद्यम को प्रारम्भ किया। जिसके पीछे यह विचार था कि स्थानीय किसान व्यापार के माध्यम से मूल्य श्रृंखला पर नियन्त्रण रख सकेगें।

मूल्य श्रृंखला प्रस्ताव

साधारणतया मूल्य श्रृंखला प्रत्येक स्तर से किसान से लेकर अन्तिम उपभोक्ता तक छुपी हुई है। प्रत्येक कदम मूल्य जोड़ता है। शायद यह एक थोक खरीददार, जो फसल सूखने पर खरीदे या फिर कम्पनी, जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बैग में उत्पादों को पुनः पैक करे, कोई भी हो सकता है। शायद एक साधारण मूल्य श्रृंखला इस प्रकार हो सकती है –

उत्पादक समूह → बिचौलिया (खरीददार) → प्रसंस्कारक → उपभोक्ता

उदाहरण के लिए मक्का के विषय में, एक किसान हरा भुट्टा 700 लोस मुद्रा प्रति किग्रा0 बेचता है, जबकि अन्तिम तौर पर उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए 7000 लोस मुद्रा प्रति किग्रा0 उस समय चुकाते हैं, जब वह प्रसंस्कृत और डिब्बाबन्द होकर सुअरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह समझते हुए कि क्यों किसान कम मूल्य प्राप्त करते हैं, हमने पहले श्रृंखला के सभी स्तरों को देखने की आवश्यकता महूसस की। यह इसलिए भी आवश्यक था कि सरकारी नीतियों (जैसे कर इत्यादि) का श्रृंखला पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा जा सके।

हमारे मक्का के उदाहरण में, श्रृंखला विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसानों को अपने उत्पाद का कम मूल्य मिलने के बहुत से कारण हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं, जिन्हें हमने देखा –

- उत्पादक विभिन्न गुणवत्ता वाले उत्पादों को मिला देते हैं, जैसे गीले के साथ सूखा उत्पाद और इस कारण उनके उत्पाद की गुणवत्ता घट जाती है और मूल्य कम मिलता है।
- उत्पादकों के पास संग्रह करने की सुविधा नहीं होती है। अतः वे भुट्टा तुड़ाई के बाद औने–पौने दामों पर ही उसे बेचने के लिए बाध्य होते हैं।
- किसान व्यापारियों के कर्ज में डूबे रहते हैं। उस कर्ज को शीघ्र ही वापस करने हेतु मक्का तुड़ाई के बाद तुरन्त कम दाम पर ही बेचना पड़ता है। और
- विभिन्न प्रकार के बीज, बुवाई समय और उगाने की तकनीक भी मक्के को विभिन्न समय पर नुकसान पहुंचाते हैं, लागत बढ़ाते हैं और गुणवत्ता घटाते हैं।

ग्राम्य समूह के लिए कृषि उद्यम

पायलट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, सर्वप्रथम 4–12 गांवों को नीतिबद्ध ढंग से एकजुट किया गया, व किसान समूहों की सहभागिता से गुणवत्ता युक्त उत्पादों को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात् एक छोटा कृषि–उद्यम लगाया गया और इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए व्यापार की ओर अधिक उन्मुख किसानों की एक कमेटी चयनित की गयी। ये किसान समुदाय के उच्च विश्वसनीय सदस्य थे, जो कृषि–उद्यम में पूंजी निवेश करने के लिए तैयार थे। नयी मूल्य श्रृंखला कुछ इस प्रकार थी –

उत्पादक समूह → छोटे कृषि उद्यम → प्रसंस्कारक → उपभोक्ता

किसानों से अधिकाधिक खरीददारी करने, उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराने (जैसे बीज, प्रशिक्षण और फसल निरीक्षण आदि उपलब्ध कराना) और मूल्य अभिवृद्धि में पूंजी निवेश करने (जैसे – कटाई के बाद प्रसंस्करण और संग्रहण) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यापार योजना भी विकसित करने की आवश्यकता थी, जो कि समूह के सभी निवेशकों द्वारा पारित हो। आशा अनुरूप लाभ पाने के लिए, यह आवश्यक था कि समूह किसानों को कृषि उद्यम में पूंजी निवेश करने हेतु उत्साहित करें (अंशदान के तौर पर या सामुदायिक बचत के रूप में)।

पायलट परियोजना की प्राप्तियां

हालांकि कृषि उद्यम स्थापना से अभी केवल एक वर्ष का फसल चक्र ही गुजरा है, फिर भी गतिविधि संचालित किये जाने वाले क्षेत्र में उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में उल्लेखनीय उन्नति दर्ज की गयी। बाक्स 1 में विकासात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट रूप सें दर्शाया गया है।

पैकन्गावो किसान समूह उद्यम

वर्ष 2007 से, पैकन्गावो गांव के 47 किसानों ने अपनी मक्के की फसल को एक थाई व्यापारी को कम मूल्य पर बेच दिया क्योंकि यह प्रसंस्करित नहीं था। व्यापारी ने इकट्ठा करने, माल ढुलाई और प्रसंस्करण के बदले में अच्छा लाभ प्राप्त किया।

इसके एक वर्ष बाद लाओ, खमू, हमांग के चार गांवों के क्लस्टर में समूहों के माध्यम से मक्का के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि उद्यम लगाया गया। किसानों ने यह निर्णय किया वे अपने उत्पादों की मूल्य अभिवृद्धि करते हुए उसे अच्छे दाम पर बेचेगें। अन्य दूसरे 24 किसानों को व्यापार योजना हेतु शामिल किया गया, जिन्होंने एक ट्रैक्टर और एक शेलर खरीदने का प्रस्ताव रखा। प्रत्येक किसान निवेशक ने उद्यम में अंश के लिए 735 डॉलर के समतुल्य पूंजी लगाने की मंशा जाहिर की, जबकि कुछ पैसे गांव के लोगों से उनको शेयर देने के बदले उधार के तौर पर देने को कहा गया।

समूह ने परियोजना से 4882 यू0एस0 डॉलर प्राप्त किया। इस संविदा में, यह उल्लिखित था कि यह पैसा पुनः तब निवेशित किया जायेगा, जब समूह 15 वर्ष को पूरा कर लेगा (क्योंकि यह अंशधारकों में लाभ वितरित करने की इजाजत नहीं देता है।)

वर्ष 2008 के अन्त में, चार उत्पादकों समूहों में 120 किसानों (प्रत्येक गांव से एक) ने यह समझौता किया कि उद्यम के लिए मक्का उत्पादित करेंगें। बढ़े हुए क्षेत्र में, जुताई के परिणामस्वरूप उच्च उपज और उसकी बिक्री के बाद अच्छा पैसा भी मिला। इन सबके परिणाम स्वरूप चौतरफा वृद्धि ने वर्ष 2007 की तुलना में कुल आमदनी में बढ़ोत्तरी की, जिसे उद्यम ने वर्ष 2009 के प्रारम्भ में ट्रक खरीदने में लगा दिया।

बाक्स 1 में परिभाषित पैकन्गावो किसान समूह उद्यम ने एक कृषि उद्यम को स्थापित करने हेतु गांव स्तर पर बचत एकत्र किया, यह किसी अकेले की व्यक्तिगत उपज नहीं थी। ऐसे स्थान पर, जहां बैंकों तक पहुंच मुश्किल हो, लोगों ने इस उद्यम में अपने पूंजी निवेश करने पर विश्वास किया। यहां किसानों के लिए अधिक पैसा जमा कर पाना असंभव था। फिर भी, ये किसान मेकांग नदी के समानान्तर सुदूर स्थित समूहों की अपेक्षा अधिक पनप रहे थे। अंश मूल्य भी सभी ग्राम्य समूहों में भिन्न–भिन्न था, सबसे कम अंश मूल्य 147 डॉलर का था। किसानों द्वारा अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यापार पूंजी निवेश, संसाधनों को बनाने या प्रसंस्करण यंत्रों को खरीदने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता दिख रहा है। किसान बेहद आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि कृषि उद्यम उनके उत्पादनों को दीर्घकालिक आधार पर खरीदने हेतु गंभीर है। अतः उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

मूंगफली उत्पादन के मूल्य अभिवृद्धि की सफलता के अतिरिक्त, नामफुक किसान समूह उद्यम ने एक उद्यम तक पहुंच बनाने के लिए विचार करते हुए विभिन्न समाधानों को भी दर्शाया है। पूर्व में किसानों को अपने उत्पादों में स्थानीय सामग्रियों से तैयार जैविक खाद का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित और उत्साहित किया गया, जिससे सीमित सफलता मिली। अब उद्यम यह प्रबन्धन करने तक अपनी पहुंच बना रहे हैं कि स्थानीय किसानों के बीच केवल मृदा उर्वरता उल्लेख के साथ स्थाई कृषि को प्रोत्साहित किया जाये। यह एक मूल तथ्य है कि दानेदार जैविक खाद बहुत अधिक बरबाद हो जाती है, जबकि महीन जैविक खाद छिड़कने में आसानी होती है। इसके साथ ही आवश्यक प्रसंस्करण यंत्र का दाम 2000 डॉलर है, जिसे केवल उद्यम के सामूहिक पूंजी निवेश से ही खरीदा जा सकता है।

स्थानीय कृषि उद्यम और स्थाईत्व

स्थाई तरीके से काम करने वाले स्थानीय कृषि उद्यम को कैसे स्थापित किया जाये। इस पर अभी तक विभिन्न सीख मिली –

1. खुद के बनाये हुए उद्यम अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें स्वयं का नियम एवं नियंत्रण होता है। प्रत्येक गांव में इस तरह के लोग अवश्य होते हैं, जो व्यापारिक क्षमता रखते हैं, यह ज्यादा जरूरी है कि उन्हें पहचाना जाये और अपने साथ शामिल किया जाये। एक बार इनकी पहचान हो जाने के बाद यदि उन्हें एक अवसर दिया जाये तो वे व्यापार को सफल बनाने में अधिक समय और शक्ति देने के लिए तुरन्त ही उत्प्रेरित हो जाते हैं।
2. विभिन्न हितभागियों को नियमित रूप से एक साथ लाना, जो कि बाहर अथवा अन्दर कहीं से भी मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करते हों। व्यापार को सिर्फ किसानों का शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि वे समाधान का हिस्सा बन सकते हैं।
3. भ्रष्टाचार, अनुचित कर लगाना या नौकरशाही छोटे व्यापारों को नष्ट कर सकती है। विभिन्न उद्यमों का एक संगठन छोटे व्यापार के पक्ष में वातावरण बनाने हेतु सरकार के साथ अधिक प्रभावी ढंग से लॉबिंग कर सकता है।
4. जहां संविदा नियम की अनुपस्थिति होती है अथवा उन्हें लागू करने में कठिनाई होती है, वहां पर समझौता प्रपत्र उत्पादक और उद्यम के बीच बनता है और एक तीसरी पार्टी द्वारा भी हस्ताक्षरित होता है (जैसे स्थानीय प्रशासन)। दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में उपरोक्त तीसरी पार्टी मध्यस्थता करती है। स्थानीय स्तर पर कृषि उद्यमों का स्थाईत्व सुनिश्चित करने हेतु बाहरी कम्पनियों द्वारा शेयर खरीदने या फिर वोट देने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। दाता संस्थाओं द्वारा व्यापार नियोजन की अवस्था से ही अनुदान देना छोटे कृषि उद्यमों द्वारा प्रभावी तरीके से पूंजी निवेश किये जाने व अपनी स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है।
5. विभिन्न वर्षों के लिए नये उद्यमों को संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने हेतु एक यन्त्र–रचना की आवश्यकता है साथ ही लेखा–जोखा प्रबन्धन, संविदा को समझना और बैठकों की

कार्यवाही को लिखना उद्यम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सरकार भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकती है, उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा यह किया जा सकता है कि वे शुरू की अवधि में उद्यमों को कर से मुक्त रखें, जब वे लाभ में हों और उनमें पुनः पूंजी निवेश किया जाये तब से वे कर देना शुरू करें।

आगामी योजना

मौजूदा उद्यमों को कुछ वर्षों के लिए सहयोग की और आवश्यकता है। विशेष तौर पर, शोध, प्रशिक्षण और सलाह सेवाओं की। साथ ही नये कृषि उद्यमों को स्थापित करने हेतु संस्थागत मदद की भी आवश्यकता है। आगामी वर्षों में वी0ई0सी0ओ0 एक संघ के गठन हेतु उत्साहित करेगा, जो सदस्यों को सीखने, विनिमय और स्थानीय व्यापार वातावरण को उन्नत बनाने हेतु लॉबिंग के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।

■

*कार्यक्रम अधिकारी, वी०ई०सी०ओ० लाओ, पोस्ट बाक्स 261,
हुवईसे, बोकियो, लाओस
ईमेल : kheua_vanh@yahoo.com

**देश प्रबन्धक, वी०ई०सी०ओ० लाओ, पोस्ट बाक्स 261
हुवईसे, बोकिया, लाओस
ईमेल : veco@laopdr.com

संदर्भ

- कोनेल, जे०जी० और ओ० पथामवोंग, 2007
Starting an agro-enterprise development process.
Field Facilitators Guide, CIAT Asia.

- रोडनेर, डेनियल, 2007,
Donor Interventions in Value Chain Development.
Swiss Agency for Development and Co-operation. Berne, Switzerland

Farmers as Entrepreneurs
LEISA INDIA, Vol. 11, No.2, Pg. # 8-9, June 2009

लीज़ा पर जानकारी

लीज़ा इण्डिया (1999-2005), लीज़ा ग्लोबल (1984-2006)
और लीज़ा के सभी क्षेत्रीय संस्करण

नई सीडी

मूल्य : रु० 50/-

उपरोक्त सीडी में पिछले दो दशकों के इलिया समाचार पत्रों और लीज़ा पत्रिका में छपे लेखों को समाहित किया गया है। इसकी प्रति के लिए ए.एम.ई. फाउण्डेशन से सम्पर्क कर सकते हैं।

ए.एम.ई. फाउण्डेशन
नं० 204, 100 फीट रिंग रोड,
3rd फेज़, 2nd ब्लाक, 3rd स्टेज, बनशंकरी,
बैंग्लोर- 560 085, भारत
फोन : +91-080-26699512, 26699522
ईमेल : amebang@giasbg01.vsnl.net.in or leisaindia@yahoo.co.in

पृष्ठ 6 का शेष भाग.....

हुआ। फसल अपशिष्टों और पेड़ों से प्राप्त बायोमॉस को खाद में परिवर्तित किया गया, जो कि वापस मिट्टी में चली गई। दलहनी फसलों को अन्त फसल के तौर पर लगाने से मृदा उर्वरता बढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम गांठे होती है, जो वायुमण्डल के नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करती है। इस प्रकार किसानों ने विविधतापूर्ण खेती तंत्र को अपनाकर न सिर्फ अपनी लागत और खर्च को कम किया, वरन् स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व सामंजस्यपूर्ण उपयोग भी किया। पशुधन के विषय में, किसान चारे की कमी के कारण पहले केवल एक प्रकार के पशु, या तो गाय या बकरी या मुर्गी पालते थे। विभिन्न स्रोतों से चारा मिलने की वजह से किसानों ने दो या अधिक प्रकार के पशुओं को पालन प्रारम्भ कर दिया है। इस प्रकार चारा उपलब्धता में वृद्धि होने से दुधारू गायों के जोड़े से प्रतिवर्ष 2740 लीटर से 3480 लीटर तक दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने से परिवार और खेती की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई। मवेशी चारे के तौर पर मक्के की भी मूल्य अभिवृद्धि हुई और हरे चारे, अजोला के समावेश से पशुओं के लिए बाहर से खरीदे जाने वाले पूरक भोजन पर निर्भरता कम हुई।

सहायता से परे...(परियोजना समाप्ति के बाद)

परियोजना के बाद भी किसान समूहों ने अन्तः खेती तंत्र के अभ्यास में निरन्तरता बनाये रखी है। इस क्रम में उनकी बैठकें नियमित रूप से होती है, जिसमें वे खेती से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब उनके अन्दर समूह के तौर पर सीखने की उत्सुकता है, जिसके उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि किसानों ने स्वयं के स्तर पर, धान की एस0आर0आई0 विधि पर समझ बनाने हेतु पुडुकोट्टई जिले के गाँवों में सम्बन्धित किसानों के खेतों का भ्रमण किया, पशुओं एवं उनसे सम्बन्धित जानकारियों के लिए उन्होंने पशु स्कूलों और शोध संस्थानों का भी भ्रमण किया। इसी का परिणाम है कि तमिलनाडु का नमक्कल जिला पशुधन और चारा उत्पादन के लिए जाना जाने लगा है। एक मुख्य उपलब्धि यह है कि इन समूहों को अब नाबार्ड से 'किसान क्लब' के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि ये किसान नयी चुनौतियों का सामना करने हेतु बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ अब खेती को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने लगे हैं। विविधता खेती, पशुधन और घर तीनों में परिलक्षित होने लेगी है और इन किसानों की निर्भरता बाहरी संसाधनों पर घटी है व बाजार से जुड़ाव बढ़ा है।

आभार

समानता, सशक्तता और विकास विभाग विज्ञान (SEED), गरीब किसानों की आजीविका संवर्धन के लिए बायोफार्म परियोजना को अनुदान देने हेतु विज्ञान व प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग, भारत सरकार को लेखकों की ओर से धन्यवाद। ए0एम0ई0 फाउण्डेशन टीम और उन किसान समूहों को भी धन्यवाद, जिन्होंने परियोजना की सफलता में योगदान दिया।

■

*क्षेत्र परियोजना अधिकारी, **क्षेत्र इकाई समन्वयक, ***कार्यकारी निदेशक
ए०एम०ई० फाउण्डेशन, नं० 5/1299-बी-2, एन०एस०सी०बी० रोड, लक्कियामपट्टी
धरमपुरी- 636705
ईमेल : amefbang@yahoo.co.in

Farming Diversity
LEISA INDIA, Vol. 11, No.1, Pg. # 13-14, March 2009

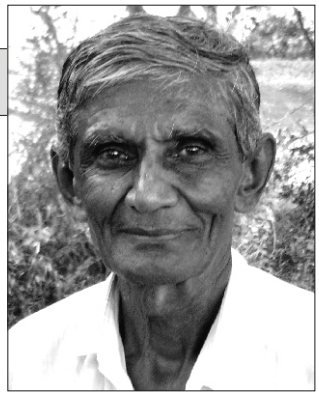

विविधतापूर्ण खेती तंत्र

एल० नारायण रेड्डी*

दूसरे क्षेत्रों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि के मुकाबले कृषि से अत्यन्त कम राजस्व मिलने के कारण यूनियन और राज्य सरकार द्वारा कृषि सर्वाधिक उपेक्षित विषय है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि यह किसानों द्वारा भी उपेक्षित है। इसमें लगने वाली कड़ी मेहनत, समय और जोखिम के कारण इसे अन्य की तरह लाभकारी व्यवसाय नहीं माना जाता। पर इस त्रासदी का मुख्य कारण यह है कि सरकार कृषि में लगने वाली लागत के समतुल्य कृषि उत्पादों पर पारिश्रमिक मूल्य देने को उचित महत्व नहीं देती है। फिर भी, एक बात तो सच है कि प्रत्येक जीवन के लिए भोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नारायण रेड्डी कहते हैं कि, एक किसान की तरह, मैंने अपने 45 वर्षों के अनुभव से सीखा कि केवल फसल उगाना ही खेती नहीं है। यह भारत जैसे देश के लिए एक सत्य है, जहां के 80 प्रतिशत किसान लघु और सीमान्त हैं। इन किसानों के लिए, खेती फसल और पशुधन की एकीकृत व्यवस्था लाभप्रद होगी। हरी खाद, चारा, भोजन, फाइबर, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए खेतों में पेड़ों को उगाना होगा। पशुधन में विविधता को शामिल करना होगा – जैस गाय या भैंस, भेड़ या बकरी, मुर्गी या सुअर, जो खेती के अपशिष्टों जैसे हरी घास या सूखा भूसा, पेड़ों और पौधों की कटाई–छंटाई से प्राप्त शाखाएं, अपरिपक्व अनाज, खराब फसल आदि खाते हैं व बदले में दूध, खाना, अण्डा, पैसा आदि और बदले में मूल्यवान खाद देते हैं।

पेड़ हमें सिर्फ चारा, हरी खाद ही नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि ये मिट्टी को बड़ी मात्रा में जैव पदार्थ भी देते हैं, अनेक लाभकारी परभक्षी कीड़ों और चिड़ियों की मेजबानी करते हैं, गर्म हवाओं से नमी संरक्षित करते हैं, मिट्टी से पानी संरक्षित करते हैं एवं अपनी लम्बी जड़ तंत्रों के चारों तरफ सूक्ष्म अवयवों को समायोजित कर मृदा को समृद्ध बनाते हैं और इन सबके साथ निश्चित तौर पर आमदनी तो बढ़ाते ही हैं। जानवर खेत पर अपशिष्ट को खाते हैं, ठीक ढंग से घास खाने से घासों को तो नियन्त्रण में रखते ही है, खेतों को मूल्यवर्धक खाद भी प्रदान करते हैं। उनके द्वारा उत्सर्जित मल–मूत्र को गोबर गैस प्लाण्ट के लिए कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, जिससे ईधन और रोशनी के लिए गैस उत्पन्न होगी साथ ही फसल के लिए मूल्यवान खाद भी प्राप्त होगी।

खेती में तंत्र का चयन करते समय स्थानीय परिस्थितियों व समुदाय के अनुकूल परिवार के उपभोग की आवश्यकता को महत्व देना होगा। पर दुर्भाग्यवश, सरकार और किसान दोनों ही व्यवसायिक उपयोग की फसलों जैसे – रूई, तम्बाकू, गन्ना, मिर्च, सफेदा को अधिक महत्व देते हैं, जो विशेषज्ञों द्वारा उगाई जाती हैं। ये फसलें किसानों और स्थानीय समुदाय को खाना और चारा तो उपलब्ध नहीं ही कराती हैं और उन्हें इनसे ईंधन भी प्राप्त नहीं होता है। पशुओं की संख्या घटने का एक मुख्य कारण चारे की कमी भी है। इसका एक प्रभाव यह भी पड़ता है कि अधिकांश छोटे किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर और खाद देने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो गये हैं। रसायनों के प्रयोग से मिट्टी न केवल ठोस और पपड़ी युक्त हो जाती है, वरन् यह मिट्टी के सूक्ष्म अवयवों को भी नष्ट कर देती है, इसलिए किसान अधिक से अधिक बाहरी लागत लगाने पर बाध्य हो जाता है और इस प्रकार उसके ऋणग्रस्त होने का सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है।

केवल भारत में ही नहीं वरन् अन्य देशों में भी पेड़, जानवर और फसलों की विविधता के साथ पर्यावरण सम्मत पारिस्थिति में खेती को अपनाना ही, इस कृषिगत कर्ज (विनाश) से पार पाने का एक मात्र समाधान है। कर्नाटक राज्य में बंगलौर के ग्रामीण क्षेत्र में डोडाबल्लापुरा के निकट हमारे पास 4.2 एकड़ सिंचित क्षेत्र है। हम उसमें भोजन जैसे – अनाज, सेम, खाने वाला तेल, सब्ज़ी की लगभग सभी प्रजातियां और फल उगाते हैं, जो पूरे साल 10 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम लगभग 10000 नारियल, 8 टन सपोता, 5 टन पपीता, 2 टन अवोकाडो, 2 टन सोयाबीन, 10 टन विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्ज़ियां और दूसरे फल बाजार के लिए भी उगा लेते हैं। हमारे पास 8 गाय, 12 बकरियां और 25 देशी मुर्गियां हैं। खेत के चारों किनारे पर 15 वर्षों से विविध प्रकार के चारे, हरी खाद और इमारती लकड़ियों के 300 पुराने वृक्ष हैं। हमें विश्वास है कि अगले 15 वर्षों के दौरान इन इमारती वृक्षों को बेचने से 30 लाख रूपये की आमदनी होगी। इसके अलावा और भी लाभ होगें, जो ऊपर समाहित हैं। हमने अपने तालाब में 200 मछलियां पाल रखी हैं, जिससे सालाना आमदनी रू0 6000.00 होती है। इसलिए, पेड़, जानवर और अन्तः फसली फसल तंत्र की जैव विविधता के साथ खेती, खाना और आर्थिक सुरक्षा दोनों ही प्रदान करेगी। अतः कहा जा सकता है कि एकल फसल पर केन्द्रित होना अन्तिम रूप में परिवार और मृदा को कर्ज और विनाश के गर्त में ले जायेगा।

■

* श्री निवासपुरा, वाया मारेलानाहाली
हनाबे पोस्ट, डोडाबल्लापुर तालुक,
कर्नाटक, भारत
मोबाइल : 09242950017, 09620588974

Farming diverstiy
LEISA INDIA,Vol. 11, No.1, Pg. # 28, March 2009,

आदिवासी महिलाएं बनी बिहन्ना माँ (बीज माँ)

उड़ीसा की '' बीज माँ'' ने मोटे अनाजों पर आधारित खेती व्यवस्था को पुर्नजीवित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। स्थानीय बीजों और जैव विविधता पर जानकारियों का घर के नाम से अस्तित्व में आयी बीज माँ ने स्थानीय और परम्परागत बीज प्रजातियों को पहचाना, संरक्षण किया और प्रसार कर रही हैं।

फोटो : ओ.आर.आई.एस.एस.ए.

मिश्रित फसल की बीज बुवाई

बिश्वमोहन मोहन्ती*

उड़ीसा प्रान्त के मलकनगिरी और कन्धमाल जिले में निवास करने वाली क्रमशः कोया और कोंध नामक आदिवासी समुदायों की आजीविका का प्राथमिक व प्रमुख स्रोत खेती पर निर्भर है। परम्परागत रूप से, वे मोटे अनाजों की विभिन्न प्रजातियों की खेती करते हैं ताकि उनके परिवार को पूरे वर्ष के लिए भोजन की उपलब्धता होती रहे। ये स्थानीय समुदाय कृषि में स्थाईत्व लाने के लिए विविध फसलों को उगाते हैं ताकि स्थानीय विविधता का संरक्षण और प्रबन्धन होता रहे। इस क्षेत्र में खाने और गैर इमारती वनोत्पादों के लिए आदिवासियों की निर्भरता वन संसाधनों पर है।

समय बीतने के साथ, तेजी से विनष्ट होते वनों का व्यापक प्रभाव इन आदिवासियों की आजीविका पर भी पड़ा। इसके साथ ही, बढ़ती खेती लागत ने भी आदिवासियों की खेती व्यवस्था को प्रभावित किया। दूसरी तरफ, विविधतापूर्ण फसल तंत्र का स्थान धान और कुछ उच्च मूल्य वाले फसलों की एकल खेती ने ले लिया। इन बदलती परिस्थितियों में सिर्फ एक फसल चावल उगाकर सभी पोषक तत्वों और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ परिवार के सदस्यों के लिए निरन्तर भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करना आदिवासी महिलाओं के लिए एक चुनौती थी।

वर्ष 2006 के दौरान, एक स्थानीय संस्था, आर्गनाईजेशन फॉर रूरल रिकन्सट्रक्शन एण्ड इन्टीग्रेटेड सोशल सर्विस एक्टीविटीज (ORRISSA) ने स्थानीय समुदायों को उनकी जानकारी पर आधारित पारम्परिक खेती तंत्र को पुर्नजीवित करने में मदद की। इसके अन्तर्गत उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया, जो समुदाय को स्थानीय बीज, न्यून लागत और स्थाईत्व पर मुख्य रूप से केन्द्रित कृषि व्यवस्था अपनाने में सहायता करेगा।

बिहन्ना माँ...

चूँकि खेती का अधिकांश काम महिलाएं करती हैं और खेती व परिवार की जरूरतें महिलाओं को ही पूरी करनी होती है। अतः आदिवासी महिलाओं ने स्थानीय बीजों के पोषण और उन पर विस्तृत् जानकारी जुटाने में अहम् भूमिका निभाई। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी महिलाएं थीं, जो अपने घर के पिछवाड़े और मिश्रित फसलों के खेत के छोटे से टुकड़े पर अनेक मोटे अनाजों को उगा रही थीं। ये महिलाएं बिहन्ना माँ या बीज माँ के नाम से खासी प्रचलित हुईं। परम्परागत बीजों के पुनरूद्धार में संलग्न बीज माताओं की भूमिका और पहचान को मान्यता दिलाने में चार स्थानीय किसान संस्थाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। इन किसान संस्थाओं ने, जिन्हें लोक संगठन भी कहा जाता है, ने उनकी भूमिका को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से कई क्रिया–कलापों को संचालित किया। इसके तहत् उन्होंने वर्ष 2006 में क्षेत्र में बीज पर जानकारी का प्रसार करने वाली 28 आदिवासी महिलाओं को चिन्हित किया। ये चिन्हित बीज माताएं स्थानीय बीजों से तादात्म्य स्थापित करने, मिश्रित फसलों से होने वाले लाभ के विषय में जानकारियों के आदान–प्रदान और पारिवारिक स्तर पर बीजों के अदला–बदली में गांव वालों की मदद करती थीं। इन बिहन्ना माँओं ने विभिन्न बीजों पर आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु किसानों के बीच सम्पर्क सूत्र की भूमिका भी निभाई। इसके साथ ही बीजों की गुणवत्ता और उनके स्वभाव, खेती और संग्रहण के तरीकों को भी एक से दूसरे तक पहुँचाने में इन्होंने मदद की।

बीज में गुणात्मक वृद्धि

क्षेत्र में जैव विविधता को सशक्त बनाने के लिए बीज माताएं और किसानों ने साथ–साथ काम किया। बीज माताएं स्थानीय बीजों की गुणवत्ता सुधारने के साथ किसानों के बीच में अदला–बदली करने का अचल स्रोत हैं। उन्होंने यह अनुभव किया कि परम्परागत बीजों को उन्नत बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी वांछित विशेषताओं से युक्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त, बीज माताओं के पास बीज की बहुत कम मात्रा होने के कारण सभी इच्छुक किसानों को ये बीज उपलब्ध भी नहीं कराये जा सकते थे, इसलिए बीज की मात्रा बढ़ाने हेतु कुछ चयनित किसानों के क्षेत्र पर इन बीजों को लगाने की आवश्यकता महसूस की गयी। किसान संस्थाओं ने इन किसानों को चिन्हित करने में मदद की। सुगन्धित धान, मोटे अनाज और दालों की प्रजातियों को पहले बीज माताओं और कुछ चयनित किसानों के खेत पर लगाया गया था और इसके बाद अन्य इच्छुक किसानों को बीज दिया गया। इन चिन्हित बीजों में किसानों की आवश्यकता के अनुसार कुछ विशेषताएं थीं, जैसे – कम अवधि की होने के साथ ये जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकें, इन पर कीटों और रोगों आदि का प्रकोप कम से कम हो आदि। पिछले चार वर्ष बीतने के पश्चात् धान की 32 प्रजातियों, मोटे अनाजों की 7 प्रजातियों और दूसरी दुर्लभ स्थानीय बीजों की 21 प्रजातियों में गुणात्मक वृद्धि हुई और 800 किसानों के बीच उनकी साझेदारी की गयी।

जैव विविधता का खाका तैयार करना

भोजन और चारे की अपार विविधता युक्त उपलब्ध उत्पादों को मान्यता दिलाने और गांव से बाहर के समुदाय को सहमत करने में सहायता करने के लिए बीज माताओं ने गांव में सहभागी ढंग से जैवविविधता का मानचित्रीकरण किया। इन महिलाओं ने यह प्रमाणित किया कि जंगल पर जानकारियां अनन्त हैं। इसे सिद्ध करते हुए तंगपाली और अदामुण्डा गांव की महिलाओं ने जंगल से खाने वाली जंगली हरी पत्तियों की 25 प्रजातियों का प्रदर्शन किया। बांस पर केन्द्रित एक दूसरे अभ्यास में, झरपल्लई गांव में समुदाय ने आदिवासी घरों में प्रयोग होने वाले बांसों की 53 प्रजातियों का चिन्हीकरण किया। इससे उत्साहित होकर, किसान समूहों ने छः अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक दूसरे वर्ष बांस की टहनियों की छंटनी करने से परिवारों को रोकने के लिए ''बांस बचाओ'' अभियान का प्रारभ किया। इस प्रक्रिया के दौरान सभी जानकारियां बीज माताओं द्वारा उपार्जित की गयीं, साथ ही दूसरी आदिवासी महिलाओं ने समुदाय स्तर पर जैव विविधता रजिस्टर रखना भी प्रारम्भ किया है।

फसल विविधता का निर्माण करना

परम्परागत तौर पर, ''हस्तान्तरित खेती'' उन स्थानों पर अनुसरित की जाती थी, जहां लोग स्पष्ट थे कि जंगल में एक साल में एक बार जमीन की जुताई की जाती थी और फलियों, बीन्स, दालों और मोटे अनाजों को शामिल करते हुए संयोजन में विविध फसल उगाई जाती थी। मोटे अनाजों पर केन्द्रित मिश्रित खेती पद्धति पहले इस क्षेत्र में खेती की सर्वाधिक मुश्किल विधियों में से एक थी, जिसके तहत् 12–22 प्रकार की खाद्य फसलें वन जोतों के समानान्तर ऊँची भूमि पर उगाई जाती थीं।

इस पुरानी हस्तान्तरित खेती पद्धति के तरीके से अन्तः प्रेरणा पाकर बड़ी उम्र के किसानों ने ऊंची भूमि पर मिश्रित खेती की आवश्यकता महसूस की। बीज माताएं 678 परिवारों को यह समझाने में सक्षम हुई कि मिश्रित खेती के पुनरूद्धार से उनकी पूरे साल भर की खाद्य आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसी का प्रतिफल है कि अब किसान दालों जैसे ऊर्द, अरहर, राजमा, लोबिया आदि की फसलें अनाज की फसलों जैसे मक्का, धान और जाना के साथ उगाने लगे हैं। कुछ किसान मोटे अनाजों को भी मिश्रित फसल के तौर पर उगाने लगे हैं जैसे टांगुन (फॉक्सटेल) और मडुवा के साथ सब्ज़ियां जैसे भिण्डी, राजमा आदि।

उदाहरण के लिए, मलकनगिरी में विभिन्न प्रजातियों की उपलब्धता जानने हेतु ग्राम्य स्तर पर बीज का मानचित्रीकरण किया गया। बीज की उपलब्धता के आधार पर गांव में किसान समूहों को अपने खेत पर मिश्रित खेती प्रारम्भ करने और बीजों के आदान–प्रदान हेतु उत्साहित किया गया। लगभग 3 वर्षों के समय में, मात्र 47 परिवारों से शुरू इस प्रक्रिया ने विस्तार लिया और आज 9 से अधिक मोटे अनाजों के बीजों की पहुंच 500 परिवारों के बीच हो गयी है। किसान भी आपस में पारम्परिक सुगन्धित धानों की प्रजातियों जैसे कालाजीरा और मछकन्टा के बीजों की खरीद और आदान–प्रदान कर रहे हैं। सामुदायिक बीज मेला के संयोजक श्री बिजय के अनुसार, उनके सदस्य 100 एकड़ से अधिक उँची भूमि को सुधार रहे हैं और उन पर मिश्रित फसलें उगा रहे हैं।

यह गौर करने योग्य है कि वर्ष 2008 में मलकनगिरी विकास खण्ड में जहाँ दो फसलें भी सही से नहीं हो पाती थीं, वहीं मोटे अनाजों पर आधारित खेती तंत्र अपनाने की वजह से 739 छोटे आदिवासी परिवार नियमित खेती करते हुए 6 से लेकर 14 फसलें उगाने में समर्थ हो गये हैं और अपनी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सफल हुए है।

परिवारों की खाद्य और पोषक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाएं महत्वपूर्ण व अनिवार्य भूमिका अदा कर रही हैं। अपने उत्पादों को पूरे वर्ष उपयोग करने की आशा से वे एक सीजन के उत्पाद को अपने घरों में 5 से 10 वर्षों के लिए भंडारित करती हैं। वे अपने घर के पिछवाड़े स्थित खाली भूमि पर सभी प्रकार की सब्ज़ियां उगाती हैं, जो उनके उत्पादों और स्वाद को बढ़ाता है। ग्राम्यस्तर पर 22 महिलाओं ने सब्ज़ियों की नर्सरियों का प्रबन्धन किया है, जहां से वे पोषक तत्वों से समृद्ध सब्ज़ियों के पौधों को परिवारों के बीच में आपस में लेन–देन करती हैं। बीज माताएं पौधों के आदान–प्रदान और गृहवाटिका में बीज उगाने में सुगमीकर्ता की भूमिका निभाती हैं।

सामुदायिक बीज मेला

बीज विविधता की पैठ किसानों के मन में गहरे तक बनाने हेतु सामान्य किसानों और बीज माताओं के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किसान संगठनों द्वारा संगठित सामुदायिक बीज मेला वर्ष 2007 से आयोजित किये जा रहे हैं। ये मेले खरीफ फसल कटाई के तुरन्त बाद लगाये जाते हैं ताकि बीजों के साथ ही साथ अनुभवों का आदान–प्रदान भी हो सके। बीज माताएं स्थानीय बीजों की समृद्ध विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का भरपूर प्रदर्शन करती हैं। खेती किसानी से जुड़ी 100 महिलाओं के समक्ष विभिन्न बीजों की बानगी के प्रदर्शन द्वारा जैव विविधता की समृद्धता को बीज माताओं द्वारा प्रमाणित किया जाता है। किसानों के हिसाब से विभिन्न स्थानों पर लगे इन मेलों में उनकी सहभागिता होती और सभी प्रकार के बीजों का आदान–प्रदान किया जाता है।

पदयात्रा के माध्यम से ''चासी स्वराज्य'' मनाना

परम्परागत बीजों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 12 फरवरी, 2009 को झरपल्लई गांव से एक पदयात्रा का शुभारम्भ किया गया। 55 सुदूर स्थित गांवों को आच्छादित करती इस पदयात्रा में 60 किमी0 की दूरी तय की गयी। स्वयंसेवकों ने पदयात्रा के साथ कई नुक्कड़ सभाओं के जरिये क्षेत्र के साधारण आदिवासी परिवारों को जैव विविधता बचाने वाले उनके प्रयासों के लिए उत्साहित किया। इसी के समानान्तर स्थानीय किसान संगठनों ने ग्राम पंचायत स्तर पर बीज आदान–प्रदान मेला का आयोजन किया, जिसमें गांव से महिलाएं अपने साथ बर्तनों में बीज लेकर आईं और आपस में उनका आदान–'प्रदान किया। नौ दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा का समापन मलकन गिरी में एक सामुदायिक बीज मेला का आयोजन करते हुए किया गया। समापन के अवसर पर आयोजित इस उत्सव में प्रदेश एवं देश स्तर के स्वयं सेवी संगठनों के साथ सभी आदिवासी समुदायों सहित 5000 लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। बीज मेला के दौरान ''आदिवासी महिला बीज पालक'' पर एक किताब भी निकाली गई, जिसमें परम्परागत बीजों के एकत्रीकरण एवं संरक्षण में बीज माताओं के अमूल्य योगदान की चर्चा की गई है।

मलकनगिरी में वर्ष 2009 में सामुदायिक बीज मेला एक उदाहरण बना, जब राज्य के विभिन्न 6 जिलों से उत्साहित किसानों ने अपने बीजों के साथ इसमें भागीदारी निभाई। मेले के दौरान, 231 किसानों ने स्थानीय सुगन्धित धान प्रजातियों के बीजों का आपस में आदान–प्रदान किया। 47 आदिवासी किसानों ने 60 कुन्तल धान की सुगन्धित प्रजातियों (कालाजीरा, समुद्रबाली, अत्मासीतला आदि) को प्रमाणित बीजों के बदले रू0 1400.00 से रू0 1700.00 प्रति कुन्तल की दर से बेचा और इस प्रकार उन्होंने स्वयं लाभ कमाने के साथ ही अपने परम्परागत सुगन्धित प्रजातियों का प्रसार दूर तक करने में सफलता पाई।

बीज मेला का प्रयोग एक ऐसे मंच के रूप में भी किया जाता है, जहां पर लोगों को वन बचाने हेतु संवेदित किया जाता है। मलकनगिरी बीज मेला, 2009 के दौरान रंगिनीगुडा की लगभग 30 आदिवासी महिलाओं ने औषधीय पौध सामग्रियों (फसल, पौध, पत्तियां, जड़ें, फल, बीज, छाल, लकड़ी और वनस्पति दूध) की 105 प्रजातियों के साथ जड़ों की 15 प्रजातियों, पत्तियों की 8 प्रजातियों, मशरूम, काजू, इमली, महुआ आदि स्थानीय वनों से प्राप्त संसाधनों का बेहतर प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने प्रदर्षित पौध सामग्रियों के औषधीय गुणों को बताकर अपनी जानकारी भी प्रदर्शित की।

परम्पराओं का प्रसार दूर तक

इस क्षेत्र में ''बिहन्ना मां'' अथवा बीज माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 वर्षों के समय में, 73 बीज माताओं ने लगभग 2800 छोटी जोत वाले परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई है और पारम्परिक बीजों और पारम्पारिक पद्धति से खेती करने में उनकी सहायता की है। इन महिलाओं ने जिले और राज्य स्तर पर अधिकारिक प्रर्दशनियों के दौरान खाद्य मेला का आयोजन कर आदिवासी भोजन की समृद्धता के बारे में मुख्य समाज को संवेदित करने का भी प्रयास किया है। सामुदायिक बीज मेलों, भोजन उत्सवों और प्रदर्शनियों के माध्यम से ये महिलाएं मोटे अनाज आधारित फसलों और स्थानीय भोजन को वैधता दिला रही हैं। वे खाद्य विविधता से सम्बन्धित मुद्दों को व्यापकता प्रदान करने के लिए इसे एक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। मंच के माध्यम से इन बीज माताओं ने स्थानीय स्तर पर प्राप्त बीजों को संरक्षित कर उनका प्रचार–प्रसार एक बड़े समुदाय में करने में सफलता पाई है और उनकी खाद्य समृद्धता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है।

■

*सचिव
आर्गनाईजेशन फॉर रुरल रिकन्सट्रक्शन एण्ड इण्टीग्रेटेड सोशल
सर्विस एक्टिविटीज (ओ०आर०आर०आई०एस०एस०ए०)
नं० 40/570, लक्ष्मी विहार, पोस्ट– सैनिक स्कूल
भुवनेश्वर– 751005
उड़ीसा, भारत
ईमेल : *biswamohanm@gmail.com:*
वेबसाइट : *www.orrissa.co.in*

Women and food Sovereignty
LEISA INDIA, Vol. 11, No.3, Pg. # 39-40, September 2009

Issues and Themes of LEISA India Published in English

V.1, No. 1, 1999 - Markets for LEISA and Organic products
V.1, No. 2, 1999 - Stakeholders in Research
V.1, No. 3, 1999 - Restoring biodiversity

V.2, No. 1, 2000 - Desertification
V.2, No. 2, 2000 - Farmer innovations
V.2, No. 3, 2000 - Farming in the forest
V.2, No. 4, 2000 - Monocultures towards sustainability

V.3, No. 1, 2001 - Coping with disaster
V.3, No. 2, 2001 - Go global stay local
V.3, No. 3, 2001 - Lessons in scaling up
V.3, No. 4, 2001 - Biotechnology

V.4, No. 1, 2002 Managing Livestock
V.4, No. 2, 2002 - Rural Communication
V.4, No. 3, 2002 - Recreating living soil
V.4, No. 4, 2002 - Women in agriculture

V.5, No. 1, 2003 - Farmers Field School
V.5, No. 2, 2003 - Ways of water harvesting
V.5, No. 3, 2003 - Access to resources
V.5, No. 4, 2003 - Rehabilitation of degraded lands

V.6, No. 1, 2004 - Valuing crop diversity
V.6, No. 2, 2004 - New generation of farmers
V.6, No. 3, 2004 - Post harvest Management
V.6, No. 4, 2004 - Farming with nature

V.7, No. 1, 2005 - On Farm Energy
V.7, No. 2, 2005 - More than Money
V.7, No. 3, 2005 - Contribution of Small Animals
V.7, No. 4, 2005 - Towards Policy Change

V.8, No. 1, 2006 - Documentation for Change
V.8, No. 2, 2006 - Changing Farming Practices
V.8, No. 3, 2006 - Knowledge Building Processes
V.8, No. 4, 2006 - Nurturing Ecological Processes

V.9, No. 1, 2007 - Farmers Coming together
V.9, No. 2, 2007 - Securing Seed Supply
V.9, No. 3, 2007 - Healthy Produce, People and Environment
V.9, No. 4, 2007 - Ecological Pest Management

V.10, No. 1, 2008 - Towards Fairer Trade
V.10. No. 2, 2008 - Living soils
V.10, No. 3, 2008 - Farming and Social Inclusion
V.10, No. 4, 2008 - Dealing with Climate Change

V.11, No. 1, 2009 Farming Diversity
V.11, No. 2, 2009 Farmers as Entrepreneurs
V.11, No. 3, 2009 Women and Food Sovereignty
V.11, No. 4, 2009 Scaling up and sustaining the gains

V.12, No.1, 2010 Livestock for sustainable livelihoods
V.12, No.3, 2010 Managing water for sustainable farming

विकसित गतिविधियों में परम्परागत सम्मिश्रण के साथ परिवर्तन

ढाला में, किसानों ने बदलती जलवायु में अनुकूलन के लिए परम्परागत व विकसित खेती पद्धति का समावेश किया है और वे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न अभ्यासों जैसे मल्चिंग, नये बीज या अपने कृषि तंत्र में वर्मी खाद के प्रयोग से उपज बेहतर हुई है। उपरोक्त तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि कैसे स्वैच्छिक संगठन सूखा क्षेत्र के किसानों को बदलती जलवायुविक परिस्थितियों में उनकी नाजुकता कम करने हेतु सहयोग कर सकते हैं।

रौनक शाह* व निरंजन अमेटा**

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बढ़ते तापमान व वर्षा की पद्धति में बदलाव की वजह से विश्व भर के सूखा क्षेत्रों में खेती पर गंभीर संकट छाया हुआ है। यह मृदा उत्पादकता को घटाने से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है और फसल रोगों व कीटों का उच्चतम संवाहक है। ग्राम्य समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, जो उनकी कृषि पर ठोस आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक मुख्य सन्दर्भ है और इससे निपटने हेतु तरीकों और माध्यमों को चिन्हित करके, रास्ते तलाश करने के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उसके प्रभाव से ग्राम्य समुदायों की बढ़ रही नाजुकता को कम किया जा सके। यह लेख उनमें से एक प्रयास ''विकसित अभ्यासों में पारम्परिकता का संयोजन'' को प्रस्तुत करता है, जिसे एक भारतीय स्वैच्छिक संगठन ''सेवा मन्दिर'' द्वारा मदद दी गयी है।

परम्परागत अनुकूलन

दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ढाला एक खूबसूरत आदिवासी इलाका है। इस क्षेत्र की जमीन काफी नीची है और यहां अत्यधिक वर्षा होने के साथ ही लगभग प्रत्येक 3 वर्ष पर सूखा भी पड़ता है। अधिकतर किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वह भी टुकड़ों में बंटी हुई है। यहां की खेती मुख्यतः वर्षा आधारित होने के कारण सिंचाई व्यवस्था बहुत ही खराब हैं। पिछली शताब्दी के अन्त में, ढाला में किसानों ने उदयपुर के अन्य ग्रामीण और जन जातीय समुदायों के जैसी बहुत सी कठिनाईयों का सामना किया, जैसे – भूमि का क्षरण, न्यून जल उपलब्धता, अपनी खेती को उन्नत बनाने में संसाधनों के निवेश और जानकारियों का अभाव। परिणामतः इनकी उपज घटी और तद्नुरूप आमदनी भी कम हुई। उदयपुर के सूखा क्षेत्रों में जलवायु का उतार–चढ़ाव और प्राकृतिक घटनाएं समान हैं। क्षेत्र में खेती व्यवस्थाएं इन्हीं उतार–चढ़ावों के अनुकूल समानता से अपनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, ढाला में किसान खेती अभ्यास में नियमित समायोजन को अपनाते हैं। जिसके तहत् विभिन्न योग्य और स्थानीय ज्ञान पर आधारित साधारण अभ्यास, उनके अनुभव, विशेषता, संसाधनों और क्षमता के आधार पर शामिल होते हैं। नीचे दिये गये ये बहुत से अभ्यास, अब स्थानीय कृषि व्यवस्था के आवश्यक घटक हैं।

- **अन्तः खेती या मिश्रित खेती :** एक समय में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना अन्तः खेती कहलाती है। ढाला में, किसान मक्का की फसल के साथ विभिन्न फलीदार फसलों जैसे – काला चना, सफेद चना, अलसी आदि को उगाते हैं। अन्तः खेती विभिन्न फसलों में की जाती है – जैसे मक्के की एक पंक्ति और फली की एक पंक्ति या एक पंक्ति मक्के की और दो पंक्ति फली की पुनः एक पंक्ति मक्के की। इन फसलों का चयन मिट्टी की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति और किसान की निश्चित जरूरत पर निर्भर करता है। ये विभिन्न फसल संयोजन विपरीत परिस्थितियों में भी जोखिम को कम करने में सहयोगी होती होते हैं। जैसे यदि मक्का का उत्पादन प्रभावित होता है, तो किसान अति न्यून जल आवश्यकता के साथ इस नुकसान को फली की फसल से प्रतिपूर्ति कर सकता है। अतिरिक्त तौर पर, अन्तः खेती परिवारों को अपनी जमीन का आशावादी ढंग से प्रयोग करते हुए एक समय में अलग–अलग फसल लेने की इजाजत देता है। उदाहरण के तौर पर, फली वाली फसलें मृदा में नाइट्रोजन फिक्स करती है, जिससे मक्का की पौध उगाने में मदद मिलती है साथ ही कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है।

- **हरी खाद :** हाल के वर्षों में सरकारी छूट और दूसरे अन्य बाहरी कारणों ने रासायनिक खादों के प्रयोग का उपयुक्त माहौल बनाया। तथापि, ढाला में, आज भी बड़े पैमाने पर हरी खाद बनाने का परम्परागत अभ्यास चल रहा है। सन, चारा और फलीदार फसलों से मिलने वाली हरी खाद से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ये फसलें मानसून (वर्षा) के दौरान उगाई जाती हैं ताकि बाद में इसका उपयोग गेंहूं या दूसरी नकदी फसलों में हो सके। इस प्रक्रिया में पौधों को फूल आने से पहले ही काट लिया जाता है और मृदा उर्वरता को उन्नत बनाने के लिए इसे जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। कुछ विस्तृत क्षेत्रों में इस अभ्यास से जाड़े की फसलों में कीट, बीमारियों और खर–पतवारों को भी नियन्त्रित किया गया है। यहाँ किसानों ने यह भी महसूस किया है कि जब वे सन की खेती के बाद गेंहूं की फसल उगाते हैं, तो उपज बढ़िया होती है। यहां बहुत से लोग इस अभ्यास को अपना रहे हैं। परन्तु मानसून के दौरान सन की खेती में अधिक जमीन और श्रम की आवश्यकता है, और यही खरीफ फसल लेने का मुख्य सीजन भी होता है।

- **मल्चिंग:** इस क्षेत्र में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किसानों के लिए मुख्य वरीयता है। मल्चिंग का प्रयोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि मृदा अपरदन का संरक्षण करता है। मल्चिंग जल छनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और खास बात यह है कि तेज वर्षा या तेज हवा के कारण बहने वाली मिट्टी की रक्षा करता है। ढाला में, जड़ वाली फसलों जैसे हल्दी या अदरक उगाने के दौरान मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। बुवाई के बाद पूरे खेत को खखरा के पत्तों से ढंक कर पौधों के अंकुरण तक छोड़ दिया जाता है। खखरा स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मिलने वाली वृक्ष की प्रजाति है और यह हरी खाद का काम बेहतर ढंग से कर सकती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग मल्चिंग के रूप में भी किया जा सकता है।

- **विकसित कृषिगत अभ्यासों को लागू करना :** सेवा मन्दिर एक विकासोन्मुख संस्था है, जो पिछले 40 वर्षों से उदयपुर में 600 से अधिक ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के साथ काम कर रही है। इसके बहुत से कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, महिला और बच्चे तथा स्थानीय स्तर पर संगठनों का निर्माण व विकास को जोड़ा गया है। पिछले दो दशकों से संस्था ने विभिन्न विकास आधारित गतिविधियाँ करते हुए गांव में एक बेहतर जगह बनाई है। वर्तमान दशक के पूर्वार्द्ध में, जल संरक्षण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन इस आशय से किया गया कि भूमि की उत्पादकता और जल स्रोतों को उन्नत बनाते हुए तेज वर्षा और निरन्तर पड़ने वाले सूखा से निपटने में किसानों की मदद की जाये। इस प्रक्रिया में, हमने विभिन्न ''विकसित'' कृषिगत अभ्यासों को प्रोत्साहित किया, जो वर्षा और सिंचाई दोनों पर आधारित खेती में शामिल हो रही हैं।

- **उन्नत बीज व बीज बैंक** ढाला में ऐसी खेती की आवश्यकता है, जो वर्षा और निरन्तर पड़ने वाले सूखे के प्रभाव को कम करते हुए अपनी जीवितता बनाये रख सके। निश्चित तौर पर, सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता गांव के लिए महंगी साबित होगी। इसलिए, अधिकतर किसान ऐसी फसलों को नहीं लगाते हैं, जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता हो। जैसे – गेंहूं या सिंचाई के बड़े साधनों पर खर्च। अतः ऐसी फसल प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया, जो अल्प अवधि की, जल्दी तैयार होने वाली और सूखा सहनीय हों। वर्ष 2006 में दो किसानों के साथ इन उन्नत बीजों को लगवाया गया और इस साल तक यह संख्या 60 परिवारों तक पहुंचने की उम्मीद है। चुनिन्दा व अगले साल बुवाई के लिए बीज एकत्रीकरण हमारे देश की पुरानी परम्परा है। लेकिन, पिछले तीन से चार दशकों में केन्द्रीकृत बीज आपूर्ति व्यवस्था के विकास और हाइब्रिड बीजों की प्रचुरता ने इस अभ्यास पर कुठाराघात किया और बाहरी एजेन्सियों पर किसानों की निर्भरता बढ़ाई। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बीज उपलब्धता की पुरानी व्यवस्था को परिष्कृत तौर पर बीज बैंक के रूप में पुर्नजीवित करने का एक प्रयास है। सेवा मन्दिर के सहयोग से ढाला में दो वर्ष पहले एक बीज बैंक का आरम्भ किया गया है। बीज बैंक की इस समिति में 17 सदस्य हैं, जो गेंहूं और चना का नया बीज लेते हैं। वर्तमान समय में, इस बैंक में 45 सदस्य हैं, जिन्होंने अब मक्का बीज भण्डारण भी आरम्भ कर दिया है।

- **वर्मी कम्पोस्ट :** सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खेती में जैविक विधि का प्रयोग व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है। यह मिट्टी के पोषक तत्वों को बेहतर बनाने तथा जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जानवरों के मल–मूत्र के साथ बायोमास जैसे नीम की पत्तियों, चारा अवशेष आदि को मिला कर इन सभी को गढ्ढे में ढंक दिया जाता है, जहां पर विघटित होकर ये खाद का रूप ले लेती हैं। ये अभ्यास यहां पर तीन वर्ष पहले ही शुरू किये जा चुके हैं और अब 100 से अधिक किसान इसे अपना रहे हैं।

- **फसल विविधता :** केवल एक या दो प्रकार की फसलों पर निर्भरता किसान परिवार की नाजुकता और मुश्किलों को और अधिक बढ़ाती है। फसल बरबाद हो जाने की स्थिति में विशेषकर छोटे, सीमान्त किसानों के लिए तो खाद्य असुरक्षा आसानी से बढ़ सकती है। ढाला में फसल की विविधता ने किसानों को उनकी आमदनी सुरक्षित करने में मदद की है, साथ ही साथ घोर आपदा की परिस्थितियों में भोजन की पूर्ति

भी की है, जिसके तहत् किसान अपने खेत के छोटे टुकड़े पर सब्जियों की खेती करने के प्रति उत्साहित हुए हैं व अपनी बेकार पड़ी भूमि पर छोटे–छोटे पौधों को लगा रखा है।

समुदाय का प्रतिउत्तर

सदियों से ढाला में किसान कृषि के बहुत से परम्परागत, स्थानीय, उपयुक्त और स्थाई अभ्यासों का अनुसरण करते आ रहे हैं, जिनमें से अधिकतर अब उनकी खेती व्यवस्था में अच्छे ढंग से एकीकृत हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से नये अभ्यासों का अनुकूलन किया जा रहा है, साथ ही सभी किसानों में से लगभग आधे किसान इनमें से एक अभ्यास को अपने खेत में अवश्य कर रहे हैं। इन नये अभ्यासों के परिणाम उत्साहजनक हैं। उदाहरण के लिए, गेंहूं की ऐसी प्रजाति से किसानों को परिचित कराया गया, जिसमें पूरी अवधि में सिर्फ दो बार पानी की आवश्यकता होती है जबकि सामान्यतः पांच से छः बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि, इस नयी ''उन्नत'' प्रजाति का उत्पादन भी पुरानी प्रजातियों के समान ही है। इसका मतलय यह है कि पानी चलाने में लगने वाले खर्च (रू0 1200.00 प्रति एकड़) की शुद्ध बचत हुई। अतिरिक्त तौर पर, किसान आधा समय देकर ''सेवा मन्दिर'' से अगले साल बोने के लिए बीज प्राप्त कर अपने अनाज बैंक में भण्डारित कर लेते हैं। अब समुदाय की निर्भरता बाहर से खरीदे जाने वाली बीजों पर कम हुई है।

जो किसान परिवार वर्मी कम्पोस्ट को अपनाये हैं, वे इसकी खाद पर्याप्त मात्रा में पाने में सक्षम भी हो रहे हैं (सभी शामिल परिवारों के पास लगभग 1300 कुन्तल), जिसका उपयोग वे अपने सब्ज़ी की खेती और अनाज़ों की खेती में कर रहे हैं। विविधतापूर्ण फसलें उगाने के माध्यम से अनाज़ की फसलों, सब्जियों और फलों से इस वर्ष अधिक उपज प्राप्त हुई है। इससे शारीरिक श्रम की आवश्यकता की संभावना भी बढ़ी है। निश्चित तौर पर, उन्नत अभ्यासों / गतिविधियों को अपनाने का मतलब पुराने विचारों से भटकना नही है और न ही सेवा मन्दिर का ऐसा करने का कोई इरादा है। किसान अपने पुराने अभ्यासों / गतिविधियों को अच्छी तरह समझ रहे हैं और वे एक निश्चित व संतुष्ट मूल्यांकन के बाद ही नये अभ्यासों / गतिविधियों को अपना रहे हैं। ढाला में किसान दोनों तरीके के अभ्यासों / गतिविधियों को एक–दूसरे का पूरक मानते हैं। जैसे ही वे एक बार इसके लाभों को समझ लेगें, प्रभावी और उचित ढंग से नयी गतिविधियों को अपने पुराने जांचे–परखे तकनीक में एकीकृत करना प्रारम्भ कर देगें।

जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन हेतु एक सही प्रस्ताव

स्थानीय खेती के उत्पादों को उन्नत बनाते हुए गांव की आजीविका सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर करने के लिए ढाला में विभिन्न गतिविधियां नियोजित की गयीं। इसके परिणाम स्वरूप यथोचित विकास हुआ और समृद्धि की अपेक्षाएं पूरी हुई। जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन एक अपेक्षित निष्कर्ष नहीं है। हालांकि यह जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में देखा जा रहा है, पर ये गतिविधियां सहन क्षमता को बनाने के लिए अनुकूलन के विभिन्न माध्यमों को प्रतिबिम्बित कर रही हैं, जिसके तहत् अल्पकालिक तौर पर ''सामना करने'' और दीर्घकालिक तौर पर ''अनुकूलन'' दोनों रूपों में इसे अपनाया जा रहा है।

ढाला के सूखा क्षेत्रों की कृषिगत व्यवस्था में जलवायु के उतार–चढ़ाव के प्रयोग को मान्यता मिल चुकी है और परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभावों से निपटने में प्रचुर सहनक्षमता भी दिख रही है। परम्परागत ज्ञान और कृषिगत अभ्यास इन्हीं पर आधारित हैं और ये जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन की वर्तमान आवश्यकता में अत्यावश्यक घटक हैं। यह कम नहीं है कि हम सभी तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन और तेज प्राकृतिक अस्थिरता के गवाह हैं और इसके गंभीर प्रभाव अपेक्षित हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय कृषि व्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है और पुरानी विधियां इसके प्रभावों के सामने खड़ी हो सकने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। सामान्यतः अस्थिरता से अनुकूलन एक व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा और किसान इन तेज परिवर्तनों के लिए अपने–आपको अग्रिम तैयार करेगें। परम्परागत और उन्नत कृषिगत गतिविधियों के सम्मिश्रण का विचार ढाला में एक प्रत्याशा के तौर पर है जो व्यवस्था में नाजुकता और सहनक्षमता के बीच दूरी को कम करने के लिए एक रास्ता दिखाता है। उनके अपने निर्णय और आवश्यकता के आधार पर, ढाला में किसानों ने विभिन्न पुरानी और नयी गतिविधियों का समावेश किया है और उसका उन्हें सकारात्मक परिणाम भी मिला है। ''इस साल हमने बीज देर से बोया और वर्षा भी औसत के आस–पास हुई, फिर भी हमारी मक्के की फसल कटने के लिए तैयार है, जो सामान्य से थोड़ा जल्दी ही है और उपज भी हमें पहले से अधिक मिल रही है।'' निकट भविष्य में, ढाला में खेती व्यवस्था पुरानी कृषिगत विधियों के विभिन्न संयोजनों से होगी जैसे – अन्तः खेती, मल्चिंग और नयी विधियों जैसे – वर्मी कम्पोस्ट और उन्नत बीज का उपयोग होने लगेगा। हमें विश्वास है कि कुछ समावेश स्थानीय व्यवस्था की अनुकूलन क्षमता को बढ़ायेगें। समावेश हमारे कठिन समय को भी कम करेगा। व्यवस्था को परिवर्तन का आदी होने की आवश्यकता है और उसी समय पर जलवायुविक अस्थिरता के जोखिम और प्रभावों पर आधुनिक जानकारियों का लाभ भी मिलेगा।

रास्ते और भी हैं....

यह मानते हुए कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सर्वाधिक नाजुक है, सेवा मन्दिर क्षेत्र के दूसरे सहयोगी समुदायों के बीच विभिन्न अनुकूलन विधियों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। ढाला में अनुसरित तरीके ने आगे का रास्ता दिखाया है। संस्था लगभग 80 समुदायों के साथ कृषिगत विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। इन सभी विषयों में स्थानीय संगठनों के सदस्यों से बने ग्राम्य समूहों के साथ काम किया जा रहा है। सेवा मन्दिर यह भी विश्वास करती है कि विकास की धारा नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए और यही सही तरीका है। इससे समुदायों से निकटता बढ़ती है और गतिविधियों का स्थाईत्व बढ़ता है। यद्यपि स्थानीय स्तर से निकलने वाले तरीकों को खोजने का प्रयास हमेशा चलता रहेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन का रास्ता उपलब्ध कराया जा सके।

■

*डेवलपमेण्ट प्रोफेशनल्स,
नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेण्ट यूनिट
सेवा मन्दिर, उदयपुर, राजस्थान– 313004, भारत
ईमेल : *nrd@sevamandir.org*

Dealing with Climate Change
LEISA INDIA, Vol. 10, No.4, Pg. # 13-15, December 2008,

बहिष्करण से सशक्तता की ओर : सिद्दी समुदाय की महिलाएं

अल्पसंख्यक समुदायों जैसे गुजरात के सिद्दी, ने गरीबी, अपमान और बहिष्करण को अपनी नियति मान लिया है। पारिस्थितिवश होने वाला विकास सही नहीं होता क्योंकि यह उनकी पहुँच को नहीं बढ़ा सकता। यह संघर्ष है, न्यून सुविधा, आत्मविश्वास का अभाव, आजीविका के सीमित विकल्पों, शिक्षा का न्यून स्तर और उन सभी के लिए, जो उन्हें उनकी जातीय और सांस्कृतिक पहचान से दूर कर रहा है।

आगा खाँ फाउण्डेशन*

सिद्दी एक आदिवासी समुदाय है, जिनके पूर्वजों को अफ्रीका से लगभग 500 वर्षों पहले अरब के व्यापारियों द्वारा सैनिकों की सेवा के लिए या पुर्तगालियों और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए गुलाम के तौर पर अथवा नवाबों की चाकरी के लिए लाया गया था। मोटे तौर पर वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 20,000–30,000 के बीच है, जो पूरे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैली हुई है। सिद्दी समुदायों की मुख्य आबादी गुजरात के गिर वन गिर नेशनल पार्क के आस–पास जूनागढ़ के तलाला विकास खण्ड में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तलाला और वेरावल विकास खण्ड के कुल 19 गांवों में 1089 सिद्दी परिवार बिखरे हुए हैं। जम्बौर और सिरवान गांव के अलावा अधिकांश क्षेत्रों में ये अल्पसंख्यक के तौर पर हैं।

सिद्दी परिवारों के पास आर्थिक आमदनी या आजीविका के बहुत थोड़े से विकल्प हैं। उनकी आजीविका का पारम्परिक स्रोत गिर वन है, जहां से वे सूखी लकड़ी और अन्य कच्चे माल एकत्र करते हैं। अधिकांश सिद्दी महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ियां एकत्र करती हैं और पास के बाजार में उसे बेचने के लिए ले जाती हैं। अब तकनीकी तौर पर ये काम अवैध घोषित होने के बावजूद वे इसे कर रही हैं पर संभावनाओं के अभाव में लोगों की क्षमताएं और पहुंच दोनों घट रही हैं। यह समस्या उनकी जीविका के सामने एक मुख्य चुनौती के तौर पर उभरी है। जलावनी लकड़ी काटने, घास चराने और जंगल में जाने को लेकर गांव वालों व जंगल विभाग के बीच उभरे विवाद के कारण निकट के गांवों और लोगों से जंगल क्षेत्र को सुरक्षित करने की कवायद शुरू की गयी है। सिद्दी समुदायों की सहायता करने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों और नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से अनेक प्रयास शुरू किये गये हैं, लेकिन किसी दीर्घकालिक स्थाई रोजगार अवसरों के अभाव में ये प्रयास सही ढंग से सफलीभूत नहीं हो पा रहे हैं।

आग़ा ख़ान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की भूमिका

आग़ा ख़ान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम–भारत (AKRSP) इस क्षेत्र में वर्ष 1980 से अधिकांशतः वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम पर काम कर रही है। वर्ष 2002 से आजीविका संवर्धन हेतु सामुदायिक पहुँच परियोजना के अन्तर्गत एक एकीकृत और लक्ष्य आधारित प्रयास शुरू किया गया। यूरोपियन कमीशन से अनुदानित इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकास और समुदाय को एकजुटता के प्रति संवेदनशील बनाना है। वर्ष 2004 मध्य से इस संवेग ने एक आन्दोलन का रूप ले लिया है। इस परियोजना के अन्दर महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, आय संवर्धन के विकल्पों को तैयार करना, जलावनी लकड़ी की खपत को कम करने हेतु गैर परम्परागत ऊर्जा के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाना, भूमि विकास आदि गतिविधियों को शामिल करने के साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषिगत जानकारियां और निवेश उपलब्ध कराना तथा जंगली जानवरों से खेत की सुरक्षा करने और सहभागी वन प्रबन्धन पर भी काम किया जा रहा है। परिणामतः परिवार और समुदाय दोनों ने गिर वन पर दबाव कम करने की दिशा में अपनी सभी गतिविधियों को केन्द्रित करना प्रारभ कर दिया है। इससे सिद्दी लोगों के लिए स्थाई वैकल्पिक आजीविका विकल्प भी मिल गये हैं।

महिलाओं को समूह में संगठित करना

1990 मध्य में, सिद्दी के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर केन्द्रित गतिविधियां बड़े पैमाने पर शुरू की गयीं और महिला विकास मण्डल या महिला विकास समूह स्थापित करने के लिए सिद्दी महिलाओं को संगठित किया गया। आरम्भ में इन समूहों के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण था, परन्तु बहु सामुदायिक खेती के पिछले अनुभवों के आधार पर महिला विकास मण्डल ने उत्पादकता को सिद्ध किया। पहले दो महिला विकास मण्डलों का गठन 1994 में जम्बौर गांव में किया गया। वर्ष 2002 तक 10 गांवों में कुल 16 महिला विकास मण्डलों का गठन हो चुका है, जो स्वयं सहायता समूहों के रूप में काम कर रही हैं। बड़े समुदाय में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रथम सिद्दी सहयार यात्रा 1 जुलाई, 2004 को आयोजित की गयी। लगभग 800 महिलाओं और 160 पुरूषों की सहभागिता वाली इस यात्रा का मुख्य केन्द्र–बिन्दु ''महिलाओं के लिए आजीविका'' का मुद्दा था। यात्रा के दौरान, प्रमुख सिद्दी नेताओं जैसे हिराबीबेन और अमीनाबेन ने उत्साहित करने वाले विचारों को लोगों के सामने रखा। स्वेच्छा से जमा करने, वन रोपण और महिलाओं को सशक्त करने सम्बन्धी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए नाटकों, स्लोगनों और गानों का सहारा लिया। इस आयोजन की समाप्ति पर, महिलाओं ने समूह में एकत्र हो कर बचत करने की शपथ ली। अगस्त 2004 में 12 नये स्वयं सहायता समूह के गठन ने इस प्रयास को फलीभूत बनाया।

एक संघ की सोच

जब महिला विकास मण्डलों ने अपने–आपको ग्राम्य स्तर पर प्रभावी ढंग से सिद्ध कर लिया तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि गांव से बाहर भी वे एक दूसरे के साथ मिलें। इससे उनकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होगी, उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और उनकी शक्ति को एक व्यापक आधार मिलेगा। चूंकि सिद्दी लोग विभिन्न गाँवों में बिखरे हुए हैं। किन्हीं–किन्हीं गांवों में तो 10–15 घर ही होने के कारण वहां पर मानक के अनुरूप स्वयं सहायता

समूह गठित न हो पाने की वजह से यह विचार किया गया कि सामूहिक रूप से एक संघ बनाया जाये और तद्नुरूप जनवरी, 2004 एक आदिवासी महिला संघ (सिद्दी महिलाओं का संघ) का गठन किया गया।

1 जुलाई, 2005 को सिद्दी महिला संघ ने तलाला में संघ का एक कार्यालय खोला। इसमें 10 प्रतिशत अंशदान संघ का और 90 प्रतिशत अंशदान आग़ा ख़ान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का था। दूसरी सिद्दी सहयार यात्रा और सम्मेलन महिलाओं द्वारा खुद ही आयोजित की गयी। बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने के दौरान वेरावल विकास खण्ड से दो सिद्दी गांवों ने इस संघ में जुड़ने की इच्छा जताई। जुलाई, 2006 से 525 सदस्यों वाले 42 महिला विकास मण्डलों का गठन सभी सिद्दी गांवों में हो चुका है। इस अभूतपूर्व परिवर्तन को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अभी जो उपलब्धियां मिल रही हैं, वह पहले संभव नहीं थी।

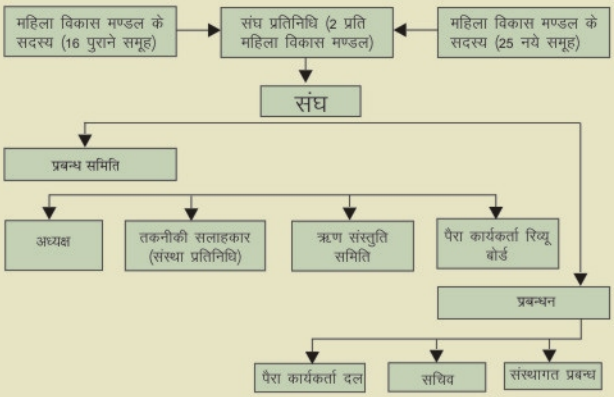

महिला विकास मण्डल और संघ के सुचारू ढंग से काम करने में पैरा कार्यकर्त्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। आम तौर पर ये वे महिलाएं होती हैं, जो अपने महिला विकास मण्डल में नेतृत्व की भूमिका में दिखती हैं और महिलाओं के बीच में से औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गयी होती हैं। पैरा कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न मुद्दों जैसे संचार संप्रेषण, रिकार्ड कीपिंग और लेखा–जोखा पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रारम्भ में, ये प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिये जाते हैं। वर्तमान में ऐसे पैरा कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ रही है, जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले रही हैं। सदस्यों का मानना है कि संघ की सदस्यता से बहुत से लाभ हैं और पैरा कार्यकर्त्ताओं का जुड़ाव उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

अतिरिक्त आमदनी के लिए उद्यम

गिर जंगल पर दबाव कम करते हुए ऐसे वैकल्पिक आजीविका मॉडल आवश्यक थे, जो सिद्दी समुदाय के सामाजिक–आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने में निर्णायक होगें। पिछले कुछ वर्षों से संघ ने अनेक गतिविधियां शुरू की हैं। इसने अपनी पहुंच सभी 19 सिद्दी गांवों तक बनाई और उन सभी में महिला विकास मण्डल गठित करने में सफलता पाई है। आजीविका की दिशा में भूमिधर परिवारों के साथ भूमि शोधन का विकल्प अपनाया गया, जबकि भूमिहीन परिवारों के साथ आजीविका उपार्जन हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक गैर कृषि आधारित गतिविधियां प्रारम्भ की गयीं। ये गतिविधियां बड़े पैमाने पर संघ द्वारा संचालित की गयीं। संघ ने ऋण पर उनकी पहुँच बनाने और एक–दूसरे के अनुभवों से लाभ लेने हेतु उन्हें एक सामूहिक मंच प्रदान किया। प्रत्येक आय उपार्जन गतिविधियां तभी प्रारम्भ की गयीं, जब महिलाओं ने उसमें रूचि प्रदान की और अपना अंशदान भी मिलाया। प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक्सपोजर विजिट भी आयोजित किये गये। एक सूक्ष्म उद्यम की भी शुरूआत की गयी, जिसमें महिलाओं द्वारा पैसे से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर संघ के माध्यम से पैसे की वापसी हेतु संस्था में जमा किया गया।

चार महिलाओं के एक कोर ग्रुप ने कुछ सम्पत्तियों और सामाजिक नेताओं के सहयोग से कई ऐसी गतिविधियां मार्गदर्शन के तौर पर शुरू कीं, जो समुदाय को जोखिम लेने में सक्षम बना सकें। इतना ही नहीं, वरन् एक दूसरी प्रकार की गतिविधि के माध्यम से साधारण सहयोग कर संस्था ने सूक्ष्म उद्यम के 16 विभिन्न मॉडलों के साथ प्रयोग किया। इसे लगातार करते रहने से यह सिद्ध हुआ कि ये मॉडल सिद्दी समुदाय के लिए नुकसान कम करने की दृष्टि से व्यवहारिक और उपयोगी हैं। शामिल सूची में हाथठेला की व्यवस्था, नीम तेल का विपणन, पुराने कपड़ों की बिक्री, सूखी और ताजी मछली, पंसारी की दुकान खोलना, फल बेचना, पान–बीड़ी की दुकान आदि है।

भूमि शोधन – अब्दुल की कहानी

वर्ष 2002 में, संस्था ने अनुपजाऊ साथनी भूमि के शोधन हेतु कुछ सिद्दी परिवारों के साथ कृषिगत उद्देश्य से भूमि शोधन प्रारम्भ किया। हालांकि मिट्टी सामान्यतः अच्छी थी, लेकिन ढालूदार भूमि और बड़े–बड़े पत्थरों ने खेती को असम्भव बना दिया था। अब्दुल कहते हैं कि "पिछले 20 वर्षों के लिए दूसरे को अपनी भूमि किराये पर देने के बदले हमें मात्र रू0 500.00 मिला। ताकि इस पर वे जानवरों को चरा सकें।

सुर्वा गांव के रहने वाले अब्दुल संस्था के भूमि शोधन कार्यक्रम से पहले–पहल जुड़ने वाले लोगों में से एक हैं। सर्वप्रथम उन्होने अपने एक हेक्टेयर खेत से कंकड़–पत्थरों को हटवाया, जो लगभग एक ट्रैक्टर था। परियोजना के दौरान उनकी भूमि को बराबर किया गया और उन्हें जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में खेती का आधारीय ज्ञान सीखने के लिए भेजा गया। दो चकों के बीच फसलों की सिंचाई के लिए एक ट्यूबवेल लगाया गया और एक 40000 लीटर की क्षमता वाले पानी के टैंक का निर्माण किया गया। उन्हें ट्यूबवेल के लिए मोटर चलाने हेतु बिजली की सुविधा भी दी गयी। उनकी पत्नी जेनाबेन गबेनसाह महिला विकास मण्डल की सदस्या हैं। उन्होंने विकास मण्डल से रू0 15000 लोन लिया था। अब कपास की फसल और सब्ज़ियों की खेती से वे ऋण की अदायगी कर रही हैं। अब्दुल का कहना है कि "यदि यहां पर मण्डल नहीं होता, तो ये सभी काम संभव नहीं थे। घास और पत्थरों के समूह के बजाय इस उर्वर भूमि ने हमें सहारा दिया है।

एक उद्यम के तौर पर जैविक खाद उत्पादन

5 महिला विकास मण्डलों की 24 महिलाओं ने संगठित रूप से जम्बोर समूह बनाकर एक ऐसे उद्यम की शुरूआत की, जिसमें अधिकांश महिलाओं की भागीदारी हुई और जैविक खाद के उत्पादन और विपणन से ये महिलाएं सफलता हासिल करने में समर्थ हुईं।

जैविक खाद उत्पादन और विपणन का विचार वास्तव में सायला और नेतरंग में आग़ा ख़ान रूरल सपोर्ट परियोजना द्वारा कार्यक्रम संचालन के दौरान आया। इस गतिविधि की शुरूआत जम्बोर गांव में नागार्ची महिला विकास मण्डल के साथ हीराबीबेन के नेतृत्व में की गयी। महिलाओं को प्रेरित और उत्साहित करने के क्रम में हीराबीबेन ने उनसे यह वायदा किया कि यदि महिलाओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद बिक नहीं पाती है, तो वे खुद सभी 200 पैकेट खाद खरीद लेगीं। उन्होंने महिलाओं को जैविक खाद बनाने हेतु स्थल भी

फोटो : आगा खाँ डेवलपमेन्ट नेटवर्क / विजय कुट्टे

हीराबीबेन व संघ की अन्य सिद्दी महिला सदस्य, जैविक खाद्य उत्पादन करती हुई

उपलब्ध कराया और मौके पर उनको चाय पानी भी पिलाया। जैविक खाद का निर्माण जम्बोर समूह के लिए एक व्यवहारिक गतिविधि के तौर पर साबित हुई। पंचतत्व के नाम से बिक रहे इस खाद को बनाने के लिए पांच विभिन्न सामग्रियों – मुर्गियों की बीट, नीम का तेल, अरण्डी तेल, तम्बाकू की धूल और खेत से निकले अवशेष सभी को एक साथ संयोजन में मिलाकर एक पिट में 90 दिनों के लिए रख दिया जाता है। हीराबीबेन द्वारा खरीदने की गारण्टी के साथ जम्बोर की एक महिला विकास मण्डल द्वारा वर्ष 1999 में 200 थैलों के उत्पादन से शुरू इस उद्यम में जुलाई, 2006 तक उत्पादन बढ़कर 749.65 टन तक पहुंच गया। रू0 1,912,560 की लागत से 48–48 किग्रा0 के 15,315 थैले तैयार किये गये, जो रू0 2,664,000 में बिके। शुद्ध लागत के रूप में रू0 752,440 की प्राप्ति हुई और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में रू0 31,315 आया। एक नये महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में गोबर और वर्मी कम्पोस्ट के मिश्रण से बना नीम केक है। ऐसी सूखी खाद भी विकसित की जा रही है, जिसे बनने में समय नहीं लगता है।

विविधता रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध कराती है। जब से वार्षिक चक्र के आधार पर जैविक खाद का उत्पादन होने लगा है, तब से सालाना चक्र के आधार पर लोगों को सिर्फ इस काम के 60–70 दिन उपलब्ध होते हैं। यदि यह कहा जाये कि वर्ष में चार महीने स्थाई तौर पर काम मिलता है, तो अतिश्योक्ति न होगी। नागार्ची महिला विकास मण्डल द्वारा समूचे जैविक खाद गतिविधि के एक भाग के तौर पर वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन शुरू करने से पहले समूह ने आनन्द के खेत पर एक एक्सपोजर भ्रमण भी किया था। इस महिला विकास मण्डल द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग निश्चित प्रकार के जैविक खाद में एक अवयव के तौर पर प्रयुक्त किया जा रहा है, जिसे वे उत्पादित कर रही हैं। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादित करने में सभी खर्च को शामिल करते हुए प्रति किग्रा0 लागत रू0 1.00 आती है, जबकि इसका बाजार मूल्य रू0 3. 00 प्रति किग्रा0 है। हालांकि अधिकांश सिद्दी महिलाएं जैविक खाद उत्पादित कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा वहां पर दूसरे स्थाई सूक्ष्म उद्यमों जैसे–नीम का तेल बनाना, सूखी मछली बेचना आदि व्यापार भी प्रयोग के तौर पर अपनाये जाने की पूरी संभावना है।

पुरूषों ने भी दिया महिलाओं का साथ

यद्यपि पूरी परियोजना व गतिविधि के केन्द्र में महिलाओं को ही रखा गया है, परन्तु इसे बनाने में पुरूष भी शामिल होते हैं और वे अपनी पत्नियों का सहयोग करते हैं। वर्ष 2002 में समुदाय के उन सदस्यों के साथ भूमि शोधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिनके पास खेती योग्य भूमि थी, परिणामतः पुरूषों ने इसका सकारात्मक प्रतिउत्तर किया। पुरूष भी इसके लाभों को देखते हुए धीरे–धीरे इन बातों से सहमत हुए और मण्डल व संघ से जुड़कर घर की महिलाओं का सहयोग करने लगे।

प्रभाव

आज, सिद्दी महिलाएं इस आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि वे स्वयं अपना विकास कर सकती हैं। उनका अपने समुदाय में बहुत सम्मान हैं। अब वे अपने साथ–साथ परिवार और समुदाय को उन्नति की ओर अग्रसर देखना चाहती हैं। वे यह विश्वास करने लगी हैं कि अब वे स्वयं अपने आर्थिक स्तर को उन्नत कर लेगी। महिला विकास मण्डल व संघ का सामाजिक सहयोग प्राप्त कर रही ये महिलाएं यह जान गयीं हैं कि अब वे अकेली नहीं रहीं। उनके अन्दर सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है। वे शिक्षा और परिवार नियोजन की आवश्यकता को समझ रही हैं। वे सिर्फ भविष्य के लिए कोई योजना ही नहीं बना रही हैं, वरन् उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर आज सिद्दी महिलाएं आगे बढ़ने के लिए निरन्तर तत्पर हैं। अब वे अपने सपने को हकीकत में बदलने और अवसरों की ऊंचाई छूने को कटिबद्ध हैं।

■

*सरोजनी हाउस, 6 भगवान दास रोड
नई दिल्ली– 110 001
फोन : 011–23782173
ईमेल : akfindia@akdn.org
वेबसाइट : www.akdn.org/India

Farming and Social Inclusion
LEISA INDIA, Volume 10, No. 3, Pg # 8 -10, September 2008